



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़  
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, JHALAWAR



Room No. 345-347, Mini Secretariat, Jhalawar-326001  
Email- [rorpcb.jhalawar@gmail.com](mailto:rorpcb.jhalawar@gmail.com) ☎07432-295071

**-:Email:-**

RSPCB/RORPCB/Jhalawar/Gen-123/ 2221

Date: 25/03/2025

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Central Zone Bench,  
Bhopal.


Subject: Regarding Submission of Joint Committee Report in compliance of the order dated 25.10.2024 in OA No.224/2024 in the matter of Suo Moto action on news titled "अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्राली अवैध पत्थर जब्त किया" appearing in Patrika Dated 25.01.2024 V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above, in compliance of the order dated 25.10.2024 in OA No.224/2024 in the matter of Suo Moto action on news titled "अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्राली अवैध पत्थर जब्त किया" appearing in Patrika Dated 25.01.2024 V/s State of Rajasthan & Ors. The Joint Committee Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Yours Faithfully

Enclosed: As above

  
Regional Officer  
RSPCB, Jhalawar

**JOINT COMMITTEE REPORT  
WITH RESPECT TO THE ORIGINAL APPLICATION No. 224/2024  
(CZ) (O.A. No. 233/2024-PB)**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**IN THE MATTER OF:**

**SUO MOTO ACTION ON NEWS ITEM TITLED “अवैध खनन पर कार्रवाई  
जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया” APPEARING  
IN PATRIKA DATED 25.01.2024.**

**V/s**

**STATE OF RAJASTHAN & OTHERS**

# INDEX

<b>S. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Page No.</b>
1	Introduction	3
2	Constitution of the Joint Committee	3
3	Background	4
4	Observations of Joint Committee	4-6
5	Steps taken at District Level	7
6	Conclusions	7-8
	Annexures	

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE WITH RESPECT TO THE ORIGINAL APPLICATION No. 224/2024 (CZ) (O.A. No. 233/2024-PB) NEWS ITEM TITLED “अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया” APPEARING IN PATRIKA DATED 25.01.2024.

Suo Moto

V/s

State of Rajasthan & Others.

### **Introduction:-**

The original application has been registered suo moto on the basis of the news item titled “अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया” appearing in Patrika dated 25.01.2024. The news item revealed the alleged illegal mining and illegal gravel storage in Kishanganj Tehsil, Baran District of Rajasthan. The news item discloses that same action has been taken against the illegal mining in the Kishanganj tehsil and Forest Department has seized 220 tonnes of gravel. Similarly, as per the news item in Kelwara range area, 90 trolleys filled with illegally mined stones have been seized and boulders was seized. The news item reflects substantial issue relating to environmental norms.

Hon'ble NGT, Central Zone Bench Bhopal during the hearing on 25.10.2024, passed the following order in the Original Application No. 224/2024 (O.A. No. 223/2024-PB).

“In the meantime, we constitute a committee consisting of :

- (i) One Representative from District Collector, Baran, Rajasthan
- (ii) One Representative from State Pollution Control Board, Rajasthan

The committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. The report in the matter be filed by the Committee through email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.”

## **2. Constitution of the Joint Committee**

In compliance with the directions of the Hon'ble NGT, a joint committee was constituted which comprises of following officials from concerning departments: -

- a) RSPCB has nominated Regional Officer, Jhalawar as member of committee and also appointed as Nodal officer on behalf of RSPCB. (Annexure-1).
- b) District Magistrate, Baran District has nominated Deputy Conservator of Forest (DCF), Baran as representative and committee member on his behalf. (Annexure-2).

शुभम नाथ

Shi Kadar

### 3. Background

In a meeting chaired by the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan on 11.01.2024, strict and effective action against illegal mining, construction, and storage was directed by the Hon'ble Chief Minister.

In compliance with these directions, to ensure effective action against illegal mining, construction, and storage, it was decided to launch a joint operation under the supervision of District Collectors in all districts, involving the **Mining Department, Revenue Department, Forest Department, Police Department, and Transport Department**. This operation was conducted from **15.01.2024 to 31.01.2024**.

During the course of this operation, the following seizures were made on 24.01.2025:

- Approximately 220 tons (equivalent to 40 trolleys) of gravel in Kishanganj Range.
- Stockpile of approximately 90 trolleys of stones in Kelwara Range.
- One a tractor trolley loaded with stones in Kawai, Atru Range.

This action was reported in the **Patrika Newspaper on 25.01.2024**. (Annexure 3 - Chief Secretary's Order dated 13.01.2024 in this regard).

### 4. Observations of Joint Committee

Members of joint committee:

1. Shri Anil Yadav, Deputy Conservator of Forests (DCF), Baran District.
2. Shri Anurag Yadav, Regional Officer, RSPCB Jhalawar

Members of joint committee conducted discussions and accordingly made the following observations:

4.1 The said new article in Patrika on 25.01.2024 was as a result of a joint operation conducted by the Mining Department, Revenue Department, Forest Department, Police Department, and Transport Department under the supervision of the District Collector, Baran on the directions of Chief Secretary of Rajasthan.

#### 4.2 Kishanganj Range: (Annexure 4)

4.2.1 Approximately 220 tons (equivalent to 40 trolleys) of gravel were seized in Kishanganj Range of Baran Forest Division on 25.01.2024.

4.2.2 On 24.01.2024, as part of the State Government's ongoing campaign against illegal mining and transportation a joint operation was conducted by the Forest Department, Revenue Department, and Police Administration in Range Kishanganj.

4.2.3 Upon receiving information about the illegal stockpiling of bajri (gravel) near Kelpuri Temple in Village Dugre, Naka Ramgarh necessary action was taken and the bajri was seized and subsequently dumped within the premises of Office of Range Forest Officer, Kishanganj.

4.2.4 Efforts are underway to ascertain the ownership of this illegal stock of bajri. So far, no claimant has come forward.

#### **4.3 Kelwara Range: (Annexure 5)**

4.3.1 Stockpiles of approximately 75 trolleys of stones were seized in cumulative manner at three different locations in Kelwara Range of Baran Forest Division on 25.01.2024.

4.3.2 Approximately 12-15 trolleys of stone stockpiles were found on Hathwari Road in Kelwara village. Additionally, around 8-10 trolleys of stones were located in Pahadi Jagir village, near NH-27, in front of a petrol pump. Further, on Penawada Road, near the private GLR Kanungo's residence, significant stockpiles of stones were identified near the main road and approximately 100 meters away from the road, where 50-60 trolleys of stones were discovered.

4.3.3 The seized stones remain in the possession of the forest department for which legal proceedings are underway in accordance with the provisions of the Rajasthan Forest Act 1953.

#### **4.4 Atru Range: (Annexure 6)**

4.4.1 A tractor trolley loaded with stones in Kawai, Atru Range of Baran Forest Division was seized on 24.01.2024.

4.4.2 On 24.01.2024, as part of the State Government's ongoing campaign against illegal mining and transportation, the Range Forest Officer, Atru, along with his staff, was conducting a forest patrol in a government vehicle (RJ28 UA1556) en route to Naka Motpur Beed Dham. During the patrol, an informer provided intelligence that illegal mining was taking place in forest block Kawai, near Chambal Fertilizer Sarhad, Village Singhani, where stones were being excavated and transported via a tractor-trolley towards Singhani via Hanihaeda. Subsequently, a tractor-trolley was spotted approaching, and it was signalled to stop. Upon inquiry, the driver identified himself as Dilip son of Ramesh and a resident of Salpura, Tehsil Atru, District Baran.

4.4.3 Upon further investigation, the tractor owner was identified as Firoz Khan, son of Rahis and a resident of Khedli Gaddiyan, Tehsil Atru, District Baran. When questioned about the stone-loaded tractor-trolley, the driver admitted that the stones had been excavated from the forest area near Village Sindhani.

4.4.4 Since the act constituted a forest offense, a case was registered under the Rajasthan Forest Act, 1953, and necessary documents were prepared on-site. A Mahindra 275 DI tractor, along with its trolley (Registration No. RJ36 RA3135, Chassis No. MBNAAAEFPHJM00661) was seized and taken to

Mohanpur Police Station premises, where it was impounded. Further legal proceedings were initiated, and the forest offense was duly registered.

4.4.5 On 24.01.2024, DCF Baran upon verification, found that the owner's involvement and consent in the case could not be established. Therefore, the seized vehicle, a Mahindra 275 DI tractor with trolley, Registration No. RJ36 RA3135, Chassis No. MBNAAAEFPHJM00661, was released from confiscation proceedings. And the Range Forest Officer was directed to complete the necessary proceedings in the forest offense case as per legal provisions.

4.4.6 On 28.02.2024, the said tractor & trolley was compounded by DCF Baran. The Authorized Officer, Deputy Conservator of Forests, Baran, has decided to release the case from confiscation proceedings as of 28.02.2024. Consequently, upon submission of an affidavit by owner of seized vehicle affirming non-involvement in forest offenses in the future, and based on facts the authorized officer found the case compoundable. Using the powers vested under Section 68 of the Rajasthan Forest Act, 1953 a compounding fee of ₹31,000/- was imposed and collected via e-challan, and accordingly, the tractor along with the trolley is ordered to be released.

4.5 Joint committee has observed that these seizures were independent incidents carried by isolated individuals.

4.6 The Joint Committee has further observed that enforcement actions were not limited to joint operations alone. A review of the past two years (2022-23 & 2023-24) indicates that whenever unlawful activities were carried out by certain elements in the Kishanganj, Kelwara and Atru ranges, the Forest Department, Baran took swift and effective action. The department has consistently played a proactive role, ensuring lawful interventions as a priority. (Annexure 7)

4.7 This is further supported by official reports and various news articles published in newspapers over the past year, which highlight the Forest Department's consistent and proactive approach in taking legal action against illegal mining. (Annexure 8)

4.8 The Joint Committee has also observed that the joint operation was a successful initiative, with regular district-level monitoring being conducted on a daily basis, leading to highly effective results. Additionally, since the operation was conducted jointly, there was a coordination among all line departments. (Annexure 9 - Details of actions taken by Forest Department during joint operation.)

02/01/24

## **5 Steps taken at Forest Division Level**

The Joint Committee was apprised of various proactive enforcement measures implemented by the Forest Department to curb illegal mining within its jurisdiction. Additionally, the committee was informed about the challenges encountered in enforcement efforts. The summary of key actions and challenges is detailed below:

### **5.1 Identification of Highly Sensitive areas**

These areas are prone to illegal mining. (Annexure 10)

### **5.2 Monitoring & Supervision**

Special teams have been constituted for regular patrolling and surveillance in sensitive and high-risk areas identified above. (Annexure 11)

### **5.3 Seizure and Legal Action**

Materials involved in illegal mining, including sand and stones, have been seized in accordance with the provisions of the applicable forest and mining laws. The confiscated material has been handed over to the competent authority as per the prescribed legal framework. Additionally, First Information Reports (FIRs) and Primary Offence Reports (PORs) have been duly registered against the offenders under relevant provisions of the Rajasthan Forest Act, 1953, and other applicable laws. (Annexure 12 – Last 3 years report)

### **5.4 Preventive Measures Taken: -**

- i. A District-Level Task Force has been constituted under the supervision of the District Collector, ensuring an inter-agency coordination mechanism for combating illegal mining through joint enforcement operations.
- ii. Regular coordination meetings, including SIT meetings, are being organized between the Forest, Mining, Transport, and Revenue Departments to ensure the effective exchange of intelligence and information. (Annexure 13)
- iii. Additional patrolling teams have been deployed in high-risk areas.

### **5.5 Challenges in Controlling Illegal Mining: -**


- i. Difficult terrain and remote locations in forest areas make surveillance highly challenging.
- ii. Small-scale mining by local villagers, rather than organized & commercial act, makes tracking the incidents difficult. (Annexure 14)

## **6. Conclusions**

- i. During the joint operation coordinated effort led to significant seizures and legal actions against illegal mining activities.
- ii. Surveillance efforts face significant challenges due to the remote and rugged terrain of forest areas. Furthermore, illegal mining in these regions is predominantly carried out by locals for their personal use

rather than on a commercial scale. This activity is conducted individually, rather than as part of an organized effort.

- iii. Regular patrolling is carried out at the range level by the staff.
- iv. In the monthly Special Investigation Team (SIT) meetings at the district level under chairmanship of District Collector Baran, discussions are held and inputs are shared with line departments to enhance coordination and effectiveness.
- v. To strengthen measures for the prevention of illegal mining, two mining blocks have been recently approved in Atru Tehsil, Baran District. This regulated allocation aligning with legal provisions ensures controlled extraction, thereby minimizing unauthorized activities and enhancing compliance with mining laws. (Annexure 15).

  
Regional Officer  
RSPCB, Jhalawar

  
Deputy Conservator of Forests  
Baran

## **Annexure – 1**

Letter related to Appointed of Nodal officer on behalf of  
RSPCB.



# Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : [member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (658) RPCB/Legal/NGT/2024/1398-1399 Date: 29/11/2024

Regional Officer,  
Rajasthan State Pollution Control Board,  
Jhalawar  
Email: - [rorpcb.jhalawar@gmail.com](mailto:rorpcb.jhalawar@gmail.com)

Subject - Regarding Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal order dated 25.10.2024 passed in Original Application No. 224/2024 (CZ)( O.A. No. 233/2024 -PB), "अवैध खनन पर कार्यवाई जारी 220 टन बजरी का ढेर उठाया 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया appearing in Patrika dated 25.01.2024

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT has passed an order dated 25.10.2024 and directed inter-alia as follow:-

**2. In the meantime, we constitute a committee consisting of:-**

**i. One representative from District Collector, Baran, Rajasthan.**

**ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.**

**3. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.**

In light of above Tribunal order dated 25.10.2024 , you are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal Officer on behalf of the RSPCB with the direction to ensure compliance of the Hon'ble NGT dated 25.10.2024. Copy of the Hon'ble NGT order dated 25.10.2024 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)  
Member Secretary

Copy to following for information / necessary action –

1. District Collector, Baran , Rajasthan

Member Secretary *olc*

## Signature valid

Digitally signed by N. Vijai  
Designation: Member Secretary  
Date: 2024.11.28 13:59:44 IST  
Reason: Approved



## **Annexure – 2**

Letter of District Collector, Baran nominating Deputy Conservator of Forest (DCF), Baran as representative and committee member on his behalf.

# कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां(राज0)

Email ID: dm-brn-ri@nic.in

क्रमांक:एफ-7( )विधि/2024/2221

निमित्त:-

Pl. No. (07453)237001, 237003

दिनांक:- 6/11/2024

उपवन संरक्षक, बारां

विषय :- माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल में विचाराधीन Original Application No 224/2024 (CZ) (O.A. No. 233/2024 - PB) के संबंध में।

प्रसंग:- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ के पत्र क्रमांक 1502 व 1504 दिनांक 4.11.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि विषयक प्रकरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2046 दिनांक 9.10.2024 से आप को वाद प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल ने दिनांक 25.10.2024 को आदेश पारित कर एक समिति का गठन किया जिसमें एक प्रतिनिधि जिला कलक्टर बारां की ओर से एवं एक प्रतिनिधि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं, नियुक्त उक्त प्रतिनिधि 6 समाप्त के अन्दर संबंधित स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल में पेश करेंगे।

अतः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश दिनांक 25.10.2024 की पालना में अधोहस्ताक्षरकर्ता (जिला कलक्टर बारां) की ओर से आप को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। आप क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ से समन्वय स्थापित कर संबंधित स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक व कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ के द्वारा जवाब समय पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के समक्ष पेश किया जा सकें।

संलग्न:- प्रासंगिक पत्र

(रोहिताश्व सिंह तोमर)

जिला कलक्टर

बारां

क्रमांक:एफ-7( )विधि/2024/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
2. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर,  
बारां

Document certified by ROHITASHVA  
SINGH TOMAR <osdbeav&r@gmail.com>

Digitally Signed by ROHITASHVA  
SINGH TOMAR  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date :06-11-2024 12:46:56

## **Annexure – 3**

Chief Secretary's Order dated 13.01.2024.

(प्रदेश के समस्त जिलों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु  
विशेष संयुक्त अभियान संचालित करने के आदेश)

राजस्थान सरकार  
खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.20(22)खान/ग्रुप-2/2023

जयपुर, दिनांक :-

आदेश

विभिन्न खनिजों (विशेष रूप से खनिज बजरी) के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की घटनाओं के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.01.2024 को आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त निर्देशों की पालना में राज्य में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए समस्त जिलों में जिला कलक्टरों की निगरानी में संयुक्त जांच दल गठित कर कार्यवाही करने हेतु दिनांक 15.01.2024 से दिनांक 31.01.2024 तक सघन अभियान चलाया जावेगा, जिसकी समयावधि में आवश्यकतानुसार अवधि वृद्धि का निर्णय भी लिया जा सकेगा। संयुक्त अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में अपने-अपने विभागीय अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कठोरतम कार्यवाही की जावेगी, जिससे प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा मिले एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर अंकुश लगे।

प्रचलित खनन नियमों के अनुसार सक्षम अनुमति के बिना खनन कार्य करने/खनिज के अवैध निर्गमन/भण्डारण करने को अवैध खनन की श्रेणी में माना गया है। राज्य के समस्त जिलों में जिला कलक्टर की निगरानी में अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रूप से विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जावे। समस्त संभागीय आयुक्त एवं महानिरीक्षक, पुलिस विभाग द्वारा भी इस विशेष संयुक्त अभियान की मॉनिटरिंग की जावे। जिला कलक्टरों द्वारा उक्त अभियान से संबंधित समस्त दैनिक सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन खान विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के साथ अभियान के दौरान हुई मारपीट एवं राजकार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाया जावे।

उक्त अभियान में प्रयुक्त सी.सी.टी.वी. सर्विलांस, ड्रोन सर्वे, वाहन, चालक, ऑपरेटर, केन हायरिंग, डम्पर व अन्य संसाधनों हेतु होने वाले व्यय का भुगतान डी.एम.एफ.टी./आर.एस.एम. ई.टी. से नियमानुसार किया जावेगा।

अभियान के दौरान संयुक्त दल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जावेगी। अभियान के दौरान अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही करने के

**प्रदेश के समस्त जिलों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जाने वाले विशेष संयुक्त अभियान के दौरान प्रभावी कार्यवाही हेतु चैक लिस्ट**

क्र. सं.	निर्देश
1.	प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर गठित एस.आई.टी./टास्क फोर्स की बैठक संबंधित जिला कलक्टर द्वारा आगामी 24 घण्टे में आयोजित की जावे तथा बैठक में जिले में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण पर पूर्णतया रोक लगाने की प्रभावी कार्य योजना बनायी जावे।
2.	प्रतिदिन एस.आई.टी./टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा जिला कलक्टर द्वारा की जावे एवं की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिदिन खान विभाग को प्रेषित की जावे।
3.	अभियान के दौरान आसूचना एकत्रित की जाकर संवेदनशील स्थलों पर, संगठित माफिया के रूप में अवैध खनन/निर्गमन करने वाले प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर जिला स्तरीय एस.आई.टी./टास्क फोर्स द्वारा कठोर कार्यवाही की जावे।
4.	कार्यवाही हेतु लगायी गयी टीमों द्वारा अवैध खनन, अवैध खनिज का निर्गमन, अवैध भण्डारण के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।
5.	अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के प्रकरणों में 03 दिवस की अवधि में प्रकरण का कम्पाउण्ड राशि/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शास्ति राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा एफ.आई.आर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावे।
6.	प्रकरण दर्ज करने के 90 दिवस की अवधि में कम्पाउण्ड नहीं कराने पर संबंधित खनि अभियंता /सहायक खनि अभियंता द्वारा अवैध खनन/निर्गमन में प्रयुक्त वाहन/मशीनरी/औजार को राजसात (कॉन्फिसकेट) करने की कार्यवाही की जावे।
7.	पूर्व में दर्ज करायी गयी समस्त लम्बित एफ.आई.आरों की समीक्षा भी इस अभियान के दौरान संबंधित जिला कलक्टर द्वारा की जावे।
8.	अभियान के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी भूमि में अवैध खनन होने पर खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रकरण संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जावे तथा पूर्व में इस तरह के प्रस्तुत प्रकरणों की भी समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर द्वारा की जावे।
9.	पूर्व में जब्त खनिजों की नीलामी की कार्यवाही भी अभियान के दौरान संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा त्वरित गति से की जावे।
10.	मौके की परिस्थिति अनुसार अन्य कोई भी नियमानुसार उचित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश, गाईडलाईन, चैक लिस्ट व दैनिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट पृथक से जारी की गई है।

*Sudhansh Pant*

(सुधांश पंत) 13/1/2024  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/सीकर/पाली/बांसवाड़ा।
11. समस्त पुलिस महानिरीक्षक।
12. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
13. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि:-
  - (ए) अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु संचालित अभियान की अवधि में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नियुक्त तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों एवं भूविज्ञान शाखा के तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अभियान में शामिल किया गया है, को एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 21 व 23बी तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 एवं 56 से 62 के तहत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
  - (बी) अधीनस्थ कार्यालयों में संयुक्त अभियान हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना सुनिश्चित करावें एवं इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारीगण को निर्देशित करावें। संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट आगामी कार्य दिवस को दोपहर 02 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
14. अतिरिक्त निदेशक (खान)सतर्कता/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।



## **Annexure – 4**

Site Inspection Report on Approximately 220 tons  
(equivalent to 40 trolleys) of gravel seized in  
Kishanganj on 25.01.2024.

(किशनगंज रेंज में बजरी जब्ती का मौका पंचनामा  
रिपोर्ट)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज वनमंडल बारां (राज.)

क्रमांक/एफ/तक /2024-25/ 608

दिनांक :- 26/1/2024

निमित्त :- श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय,  
बारां (राज.)


विषय :- अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्यवाही की सूचना भिजवाने बाबत |

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रेंज किशनगंज अधीन नाका रामगढ़ के वनखंड कुंजी सुंवास में दिनांक 25.01.2024 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां के निर्देशानुसार वन विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन के सयुक्त नेतृत्व में ग्राम दुगेर में केलपुरी मंदिर के पास अवैध रूप से बजरी का स्टॉक होने की सूचना पर सयुक्त कार्यवाही करते हुए बजरी जप्त कर रेंज परिसर किशनगंज में डलवाई |

अतः सूचना श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

संलग्न :- मोका पंचनामा,मौका नजरी नक्शा व फर्द जप्ती (कुल 3)

भवदीय  
  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
किशनगंज (बारां)




मौका पंचनामा

(राज. वन अधि. 1953 की धारा 72(सी)/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत)  
राजस्थान वन अग्राध प्रकरण (F.I.R. No.) सं. .... दिनांक 25/01/2024

- 1. वनस्थान - वनखण्ड कुंजी सुवास (ए. डूंगेर) नामक रामगढ़ रेंज, किशनगढ़
- 2. दिनांक - 25/01/2024
- 3. समय - दोपहर 2:00PM
- 4. द्वारा वनाधिकारी श्री हरिराम चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़
- 5. कथित घनसाहियान स्टॉफ एवं भौतद्विज्ञान
- 6. श्रीमती सुमबिहारी नागर थाना अधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़
- 7. श्री बाबूलाल गुर्जर नायब तहसिलदार, किशनगढ़,
- 8. समस्त रेंज स्टाफ किशनगढ़

हस्तात मौका - आज दिनांक 25/01/2024 को श्रीमान उपवन सहाय महोदय के साथ साहयानुसार नामक रामगढ़ वनखण्ड कुंजी सुवास रेंज किशनगढ़ ग्राम डूंगेर में केलपूरी भंडिर के पास झेध रूप से बजरी का स्टॉक होने की सूचना पर कार्पवाही के दौरान 220 टन बजरी के ट्रे को जप्त किया, जो कि लगभग 40 ट्राई लॉड की गई, तथा बजरी को उठाकर रेंज कार्यालय किशनगढ़ परिसर में डलवाया गया।

मौका रति किया जाकर हाजरीन को पढ़ कर सुनाया गया जो सबको सुनकर सही होना वतसल्ली किया साक्षी हस्ताक्षर / निशानी ली गई।

ह. भातिशेखर  
  
 P.S. किशनगढ़  
  
 H. अधिकारी  
  
 नामक तहसिलदार

मौका नजरी नक्शा

वन अधि. 1953 की धारा 72(सी) / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत )  
तफ्तीश वन अपराध प्रकरण एफ.आई.आर. सं


दिनांक 25/01/2024

व्यक्ति - वनरतण्ड कुंजी सुवास (ग्राम. दुंगेर) नाम. रामगढ़. ब्ल. किशनगढ़.  
दिनांक - 25/01/2024  
समय - 10:30 AM  
रा वन अधिकारी - श्री हरि राम चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़

हमराहियान स्टाफ एवं मोताबिरान :-

1. श्रीमान. प्रेम बिहारी नागर थाना अधिकारी, किशनगढ़
2. श्री बाबू लाल गुर्जर नायब तहसिलदार किशनगढ़
3. समस्त रेंज स्टाफ, किशनगढ़

मौका स्थिति -



नजरी नक्शा तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया सबने सही होना तसलीम किया। बाद सन्तुष्टि हस्ता. / प्रभूता निशानी की।

वन अधिकारी

63  
P.S. किशनगढ़  
श्री नक्शा  
श्री वनपाल  
नायब तहसिलदार

फायर अभिग्रहण

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52/अन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत)  
दाखिलसिले तपतीश वन अपराध प्रकरण (FIR No.) सं..... दिनांक 25/01/2024

बमुकाम - वनरक्षक कुंजी सुभाष (ग्राम डूंगेर) नाका रामगढ़ रेन्प. किरानगढ़

दिनांक - 25/01/2024

समय - दोपहर 2:30pm

द्वारा वनाधिकारी श्रीमान होशियार यादवी क्षेत्रीय वन अधिकारी, किरानगढ़

रूबरू हमराहियान स्टॉफ एवं मौतदिरान





- 1 श्रीमान जेम बिहारी नागर धाना अधिकारी बुद्धिस्थाना किरानगढ़
- 2 श्री बाबूलाल धुण्ड नाबल तहसिल डार किरानगढ़
- 3 समस्त रेन्प स्टाफ किरानगढ़
- 4
- 5

निम्नलिखित सामान/सम्पत्ति राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52(i)/ राजस्थान वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कब्जे राज ली गई । जिस पर निम्न पहचान चिन्ह लगाई गई

1. 220 टन बजटी लगभग 40 ट्रेली
- 2
- 3
- 4
- 5

उपरोक्त परिचित सामान/सम्पत्ति जनिग्रहण कर फायर जनिग्रहण कराई हाजरीन को सुनाई/दिखाई

बाद तंसल्ली हरता/अंगूठा निशानी की ।

H. स्टाफ P.S. किरानगढ़      H. मुजिम      H. मोतिरीवान      H. अभिग्रहणकर्ता अधिकारी

प्रतिलिपि श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहाबाद/ श्रीमान मण्डल वन अधिकारी गहोदय बाड़ा/सम्बन्धित मजिस्ट्रेट गहोदय शाहाबाद को नत्राफ ..... दिनांक ..... को सूचनाय प्रेषित है।

## **Annexure – 5**

Site Inspection Report on Seizure of Gravel in Kelwara  
Range

(किशनगंज रेंज में बजरी जब्ती का मौका पंचनामा रिपोर्ट)

## कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,केलवाड़ा

कमाक/एफ/( )/2024-25/ 333

दिनांक 26/01/2024

निमित्त :-

श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय,  
बारां

विषय :- अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्यवाही की सूचना भिजवाने बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 25.01.2024 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बारां के निर्देशानुसार वन विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त नेवृत्व में वनपाल नाका केलवाड़ा द्वारा रेन्जाधीन विभिन्न स्थानों पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध पत्थरों के स्टॉक को जब्त करने की कार्यवाही की गई।

सूचना श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

संलग्न - मौके पंचनामा कुल 3

भवदीय  
रीता  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
केलवाड़ा



गाँव रिपोर्ट

आज दिनांक 25-01-24 को गाँव केलवाड़ा के पेनाल्टी रोड पर जेम्बीर जी प्रियार्थ काबूतगो के मकान के सामने मुख्य सड़क के पास एक सड़क से 100 मी इरी पर पत्थरों के ढेर लगे हुये हैं कि सूचना पर भानाआदिवासी मसौदा भाना केलवाड़ा पटवारी हल्का केलवाड़ा 248 केलवाड़ा तहसील पर साहब शाहबाद एवं वन विभाग के कर्मचारी की समुदाय टीम के द्वारा गाँव पर जाँच अर्थात् तरीके से सगाँव रिपोर्ट गये स्याद (पत्थर) को गाँव से जफत कर राज हल से लिमा गामा पत्थर स्याद में लगभग 50-60 ट्रोली का ढेर जफत लिमा गामा गाँव पर उपस्थित लोगों की जानकारी से पनालगा की पत्थर हनुमंत सिंह पि० भात सिंह जामे राफ पुरा कि केलवाड़ा ने पत्थरों का स्याद लगा रखा है गाँव पर जफती की कर्मचारी कर वन पाल वामागेशन नगर की सुपुर्दगी में की गई गाँव पर हनुमंत सिंह s/o भात सिंह राफ पुरा को पाँचद कीपा गधा की अग्रिक काम साँझ तक गाँव पर जाँच पत्थरों को सुपुर्द बुर्द करने की कौशिश न करे ऐसा करने पर बोर्डिग कर्मचारी की जाँचगी।

हनुमंत सिंह

25/1/24  
 (मान सिंह)  
 PS केलवाड़ा

जामे राफ पुरा  
 25/1/2024

साथ दिनांक 25-01-2024 को पाल लुम्णा पर गानक पहलू आगे  
 से NH-37 सिविलियन मन्स डेडोल्ड परप ने 11:00 बजे पौलीटेकनिक  
 जेल्डोस के कर्मचारी आवागाम की सूची एच.डी. 3 बसना 82.19 बीघा  
 पर बनी तालाई से सर्वेक्षण रूप से बनन कर करीब 810 डोली  
 पत्थर के ढेर लगा रखे है जो सर्वेक्षण रूप से अज्ञात लोगो  
 द्वारा डूबकरे कर रखे है चिन्ती कोई जानकारी कती किली  
 सर्वेक्षण पत्थरो को वु ग्रीकन तलमीलदार सात्व समुदाय की  
 ग्रीकन आनाबादी करी मलेस्य, वनपाल वनलिमाग से एवं हकूमत  
 पटवारी बुधियाय व 244 कैलावाडा के साथ मौन पर जल्ल  
 कर हन राप नीवा गपा जिसे लुमुदगी वामनिशन नामक  
 वनपाल को डी गई

UPY  
 24R  
 केववाडा

विवादी  
 25/1/24  
 स.प.प. केववाडा

साथ वनपाल  
 25/1/2024

NEW  
 24/1/24

MS  
 25/1/24  
 (काजिठें)  
 240  
 प. केववाडा

## **Annexure – 6**

Detailed Report on Seizure of a Tractor Trolley Loaded  
with Stones in Kawai, Atru Range

(कवाई, अटूरू रेंज में पत्थरों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली की  
जब्ती पर विस्तृत रिपोर्ट)

वन विभाग, राजस्थान  
First Information Report

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

83

द्वितीय प्रति

38

पुस्तक क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट 24/01/2024
2. बोली का नाम, जाति एवं निवास स्थान दिलीप पुत्र रमेश  
ज्योति हरिजन उम्र 53 वर्ष नि. कुतार सालपुरा  
रह. अटक जिला बौरा
3. अपराध का विवरण अर्थात् दूध से वनभूमि से फरार  
बोल्डर का खनन कर परिवहन करना देखर  
मैय शेली द्वारा
4. घटना का स्थान वनखण्ड कुतार चाबल धरिलईक
5. दिनांक अपराध करने का 24/01/2024
6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही  
की गई टक. देखर महिना लाल रंग 215-DI मय  
शेली पल्पूर बोल्डर से भरी रजि. नं. RJ36RA333  
राज. वन अधि. 1953 की धारा 39, 33 व 41, 42 से भंग  
कर राज्य कार्यवाही की गई
7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया था ना परिसर मोठपुर
8. नाम साक्षी 1. श्री योगेश चंद्र सहा. वनपाल  
2. -11- धरिज कुमार व. र.

रा. मु. उ. 227-12-04-100 पु.

श्री गे 2  
वीर अ. र.

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा  
नामा प्रभारी  
कुतार

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घंटे के अन्दर यह सूचना खाना करनी चाहिये ।

**मौका पंचनामा**

( राज वन अधि 1953 की धारा 72 ( सी ) / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत )

बायोलॉजिकल तफतीश वन अपराध प्रकरण ( F.I.R. No ) में 89-38 दिनांक 24/01/2024

बमुकान - वनखण्ड क्वार्टर - चम्बल 818 लार्जर ग्लान सिंधनी

दिनांक - 24/01/2024

समय 7:35 Pm

द्वारा बनाधिकारी - छिरंजन कुमार शर्मा व.र. नामा प्रभारी क्वार्टर

हस्ताक्षर हमराहियान स्टाफ एवं मौतबिरान

1. श्री भारत राठौर व.र. वन अधिकारी कच्छ
2. श्री- श्रीमो गेश दत्त सहा. वनपाल नामा प्रभारी मोठपुर
3. श्री- श्री शंकर कुमार व.र. नामा मोठपुर
4. श्री- श्री छिरंजन कुमार व.र. रेन्ज प्ररु नामा कच्छ
5. श्री- श्री धर्मचंद गुप्तर व.र. नामा ड्वार

हालात मौका -

आज दिनांक 24/01/2024 को राज्य सरकार द्वारा क्रवैध खनन परिवर्तन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24/01/2024 को सरकारी वाहन नोलेस RS 280A 1556 से नामा मोठपुर वनखण्ड बीडघाम कायेन की अंगलगाह की जा रही थी तभी सुखवीर द्वारा वनखण्ड क्वार्टर - चम्बल 818 लार्जर ग्लान सिंधनी में क्रवैध खनन कर पत्थर ड्रेक्टर ड्रेली में भ्रंकर दाहिने हाथ की तरफ ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई प्राप्त शिकायत पर कायेन से घमेन भागपी, दाहिने हाथ ड्रेक्टर सिंधनी की ओर जा रहे थे तभी साकने से ड्रेक्टर काता हुआ रिवाई दिया जिससे रोबुने के लिए हाथ से बिसारा कर झुकाया गया ड्रेक्टर चालक से प्रकटाह करने पर उसने अपना नाम दिलिप सोरमेश धारि छिरंजन कि. क्वार्टर मालपुरा व.र. कच्छ बताया व ड्रेक्टर मालिक का नाम शिरोज सोरमेश व.र. कि. कच्छ गद्दीयान व.र. कच्छ बताया ड्रेक्टर ड्रेली में मोठपुर पत्थर के खारे में प्रकटाह करने पर वाहन चालक द्वारा ड्रेक्टर सामुहिक के पास स्थित वनखण्ड से खनन करवाना बताया उस प्रकार वन अपराध छिरंजन पर जाणेपर राज वन अधि. 1953 के अन्तर्गत पुकरण दर्ज कर मोठे के अन्तर्गत मोठे पर लपार कर ड्रेक्टर भय ड्रेली को अपराध कर धाना परिसर मोठपुर में लाकर रख दिया गया

मौका राते किया जाकर हाजरीन को पत्र कर मुताया गया जो सबने सुनकर सही होना वतसल्लो किया साथी हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी ली गयी।

ह. मातबिरान  
 श्रीमो गेश  
 शंकर  
 छिरंजन  
 ह. स्टाफ  
 धर्मचंद गुप्तर  
 दिलीप सोरमेश  
 ह. अधिकारी  
 नामा प्रभारी  
 क्वार्टर

**मौका नजरी नक्शा**

( राज. वन अधि. 1953 की धारा 72 ( सी ) / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत )

वायसिलेस वनपतोज वन अग्रराज प्रकरण ( FIR No ) में 89-38 दिनांक 24/01/2024

बमुकान - वनरवठ कुवई चम्बल डाईल्वरिअर गहम सिंधनी

दिनांक - 24/01/2024


समय 7:40 Pm

द्वारा वनाधिकारी - निरंजन कुमार खैरा क.र. नाका पुआरी कुवई

कवरु हमराहियान स्टाफ एवं मौतविवान

1. श्री भारत राठौर वन-अधिकारी कच्छ
2. श्री भोगेश दत्त सहा. वनपाल नाका पुआरी
3. श्री शंकर कुमावत क.र. नाका गोडपुर
4. श्री धीरज कुमार क.र. नाका कच्छ
5. श्री धर्मचन्द गुप्तर क.र. नाका कुवई

मौका स्थिति -



नजरी नक्शा तैयार किया जाकर जाकर हाजरीन को दिखाया गया सबन सही होना तमलिस किया । बाद संतुष्टि हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी ली गयी ।

भोगेश नाका  
हस्ताक्षर श्रीराम कुमार खैरा

शंकर

क.र. सिंधनी पटोल

वन अधिकारी

**फर्ड अभिग्रहण**

( राज वन अधिनियम 1953 की धारा 52 / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत )

दिनांक 24/01/2024

बसिलसिले तफतीश वन अपराध प्रकरण FIR सं. .... 89-38 .....

बमुकाम - वनखण्ड क्वार्टर चम्बल फतेहगढ़

दिनांक - 24/01/2024

समय - 7:25 PM

द्वारा वन अधिकारी - निर्दोष कुमार खन्ना वर. नामा उन्मारी क्वार्टर

सम्बन्धित मामला/सम्पत्ति का विवरण -

1. श्री भारत राठौर व. वन अधिकारी - अर्थ
2. -4- जोगेश दत्त सहा. वनपाल नामा उन्मारी मोड़पुर
3. -11- शेखर कुमार वर. नामा मोड़पुर
4. -4- धीरज कुमार खन्ना अर्थ
5. -11- धर्मचन्द गुप्ता वर. नामा क्वार्टर

निम्नलिखित सामान/सम्पत्ति राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 (1) / राजस्थान वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कब्जे राज की गयी | जिन पर निम्न पहचान कि-हू बनाई गयी .....

1. एक डेक्टर मोहेन्द्रा लाल रंग 275-NDI मय डोली पत्थर मोड़पुर में
2. अशी डूब रजि. नं. R536 RA 3135
3. चेन्सि नं. MBNA AAEFPHJM0066L
- 4.
- 5.

उपरोक्त वर्णित सामान / सम्पत्ति अभिग्रहण कर फर्ड अभिग्रहण बनाई हाजरीन को सुनाई /

दिखाई बाद तयल्ली हाना / जंगल निपटारी की।

मोहेन्द्र

खिलेन्द्र शर्मा

हू स्टाफ

अधिकारी

धीरज कुमार

वर.

शंकर

हू सांतांरवान

नामा उन्मारी क्वार्टर

प्रतिनिधि श्रीमान श्रीविय वन अधिकारी अटल/ प्रेमसद / श्रीमान मण्डल वन अधिकारी महोदय वारा / संबन्धित मन्त्रिद्वय महोदय अटल को पत्रांक ..... दिनांक ..... को सूचनाई प्रेषित है।

हस्ताक्षर

हू अभिग्रहण अधिकारी

फर्टे गिरफ्तारी व जामा तलाशी  
( राज वन अधि. 1953 की धारा 64 के तहत )

दिनांक 24/01/2024

प्रतिनिधित्व लेनीय वन अपराध प्रकरण नं. 89-38

बमुकाम - वनखंड इवार्ड चम्बल डिविज़न/राज सिंधी दिनांक 24/01/2024

दिनांक - 24/01/2024

समय - 7:45 pm

द्वारा वन अधिकारी - निरंजन कुमार खैरवा व.र. नामा उभारी क्वारि

रुबरू हमराहियान स्टाफ एवं मीतबिरान -

1. श्री भारत राठौर व.र. वन अधिकारी क्वारि
2. श्री भोजेश दत्त सहा. वनपाल नामा उभारी मोहपुर
3. श्री बांकर कुमावत व.र. नामा मोहपुर
4. श्री धीरज कुमार व.र. नामा क्वारि
5. श्री धर्मचन्द गुर्जर व.र. नामा इवार्ड

आज दिनांक 24/01/2024 को (नाम वन अपराधी) श्री दिलिप

पुत्र रमेश

जाती हरिजन निवासी सालपुरा इवार्ड जिला धौसा को वनखंड इवार्ड चम्बल डिविज़न/राज सिंधी

में अवैध रूप से वनभूमि से इस्त्र खेती द्वारा वन अपराध करते हुए / वन अपराध करने के जुर्म में (राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32, 33, 41, 42 के उल्लंघन करने पर) राज.वन अधिनियम 1953 की धारा (64) राज वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। एवं उक्त मुल्जिम की जामा तलाशी ली गई।

1. रंग - काला

2. कद - 5 feet 7 inch

3. पहचान चिन्ह - आँसू झौंक के पास चोट कामिशन

4. बरामद सामग्री (शारीरिक पहनावे के अतिरिक्त) कुद नही

मुल्जिम की फर्टे गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी सनार्द जाकर हाजरीन को पताकर/मुनाकर साट संतुष्टि सही होने पर हस्ताक्षर / अंगुया निशानी की है।

ह. सवाह

  
ह. मुल्जिम

1. चीरज कुमार

2. वि. ज्य. राठौर

भोजेश

बयान फार्म

(राज. वन अधि. 1953 की धारा 72(सी)/वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत)

दिनांक 24/01/2024

पंक्तिबद्धिते कालीस वन आनकल प्रकल्प धार. सं. 89-38

दिनांक 24/01/2024

नाम मुल्लिम : डिलीप  
 जाति : हरिजन  
 निवासी : सावलपुर  
 समय : 7:48 pm  
 पुलिस थाना : कुवाडी

पुत्र : रमेश  
 उम्र : 53 वर्ष  
 जिला : धारा

रुबरु बयान करता हूँ की - मे डिलीप सो रमेश धारि हरिजन नि. कुवाडी सावलपुर।  
 यह अट्टु जिला- धारा वन अधिकारी के समक्ष ब्रह्मने पर बयान करता हूँ  
 कि मे ग्लान सिधनी के पास स्थित वन क्षेत्र से अर्धे घ रूप मे पत्थर बोल्डर  
 डेब्टर डोली मे भरकर ग्लान हनिट्टे मे ले जाते हुए वन विभाग की गल्ली  
 दल द्वारा पकड़ लिया गया हूँ यह पत्थर बोल्डर मे वन क्षेत्र मे लाना  
 अशुभल करता हूँ वन अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया की यह कृष्य वन  
 अपराध व जंगलधुर्म की श्रेणी मे आता है यह कृष्य जो मेरे द्वारा लिया  
 गया है जिसका वन विभाग का जितना भी जुर्माना बनता है उसे मे  
 जमा करवाने के लिए तैयार हूँ इतना कुनका एक अधिकारी धारा  
 मेरे की डेब्टर डोली पत्थर बोल्डर ले करी हुए की मोटोर धाने मे  
 ले जाने की उहा गया यही मेरे बयान ही जो कि पत्रफरत काम  
 आवै व सनड रहे।

बयान दाश हवाश बिना दबाव एवं स्वयं की जानकारी के अनुसार दिया है जो पता / पताकर मुता  
 बाद तसल्ली हुस्ताक्षर / अंगूठा निशानी की।

डिलीप सो रमेश

राजस्थान सरकार - वन विभाग

( राज. वन अधि. 1953 की धारा 52 / वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत )

दिनांक 24/01/2024

बसिनसिने तफतीश वन अपराध प्रकरण FIR नं. 89-38

मुचलका मुल्जिम

पै / हस्ताक्षर दिलीप पुत्र रमेश
जाति हरिजन साकिन सालपुरा क्वारी जिला बारा

यह इकरार करता हूं की मुझे / हमें वन अधिकारी द्वारा निरंजन कुमार वः नारायण कुमार ने आज 24/01/2024 को वन खण्ड क्वारी चकल धौलाराज में वन अपराध करने हूँ / वन अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है जिसकी की हाजरी जमानत श्री श्रीराम खान पुत्र शहीरत 1981-7 पुत्र मुल्जमान जाति मुल्जमान साकिन खेडली गदीयत जिला बारा की पेश करता हूं / करते है कृपया मंजूर फरमावे।

दिनांक

दिलीप रमेश
मुल्जिम/मुल्जिमान

जमानत नामां

मुल्जिम/मुल्जिमान दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन साकिन सालपुरा क्वारी जिला बारा की जमानत (मुबलिया रुपये) देकर इकरार करता हूं की मैं इसे / इन्हें वन अधिकारी / मजिस्ट्रेट के तलब करने पर हाजिर करूंगा। यदि हाजिर करने पर जमानत (मुबलिया रुपये जब्त राज की जावे एवं ससस्त हूँ खजे का जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर सवाह
श्रीराम खान (स.)
दि
24/01/24

हस्ता /अंगूठा नि
जमानतदाता

## सीजर मार्क

(देखिये राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52-2 के अंतर्गत )

वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 50

1. सीजर करने वाले अधिकारी का नाम व पद - निरजन कुमार वैद्यक वन रक्षक
2. स्थान - 7-304111 वनखोस कवाडी चामल फाटलिया
3. दिनांक - 24/11/2024
4. समय - 7:30 PM
5. वन अपराध जिसके सन्देह में सीजर किया - अवेध रूप से पत्थर बोलत कर परिषद
6. अभियुक्त का नाम - दिलीप शं. रमेश हरिजन नि. खालपुरा कवाडी
7. सीजर कि गई सम्पत्ति का विवरण - भिन्ना इमरत बाखरी 275 11 मय डोलत
8. जिस व्यक्ति के पास में सीजर कि गई उसका नाम - पत्थर दिलीप शं. रमेश हरिजन नि. खालपुरा कवाडी

R5-36 RA 3135

हस्ताक्षर साक्षी

शंकर डिय - साक्षी नाम

हस्ताक्षर अधिकारी  
निरजन कुमार

दिलीप शं. रमेश हरिजन

हस्ताक्षर उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में सीजर कि गई



कृत  
लीप  
275  
ब )  
का  
हीत  
गाना  
स्वयं  
सके  
एक  
से  
घ  
रा  
ग  
ग



भारत सरकार  
Government of India



दिलीप कुमार  
Dilip Kumar

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1980  
पुरुष / Male



5242 6905 5504

आधार - आम आदमी का अधिकार



अ. नि.  
दिलीप



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: रमेश चंद, कवाई,  
कवाई, बारां, सालपुरा, राजस्थान,  
325219

Address: S/O: Ramesh Chand, kawai,  
Kawai, Baran, Salpura, Rajasthan, 325219

**5242 6905 5504**



1947  
1800 300 1947



help@uidai.gov.in

WWW

www.uidai.gov.in

CENTRAL MOTOR VEHICLES

DL No. RJ28/DL/C/12/64732

Date: 22/05/2012



RULES 1989  
FORM 7(See Rule 16(2))  
DRIVING LICENCE



Name DILIP RAJ

Son of RAJESH CHAND

Address SALPURA TEH ATRU DIST. BARAN

[RAJ ]

is licensed to drive throughout India a vehicle of the following description

MCY With Gear. LMV

The licence to drive other than transport vehicle is valid  
From 22/05/2012 To 14/06/2030

  
Licensing Authority, Baran

Licensing Authority, Baran



DT. of first issue of DL/Class of vehicle :

Name/Designation of the testing authority : GHISA RAM MERDHA DTO

Badge No and date of authorisation to drive transport vehicle :

\_\_\_\_\_ Details of Vehicle Class Additions

Vehicle Class

Effective From


Vehicle Class

Effective From

DOB : 15/06/1980

Blood Group

Tel No



DRIVING OFFENCES :



DON'T MIX DRINK & DRIVE



सत्यमेव जयते

# Government of Rajasthan Certificate of Registration


**RJ** **NT**

Reg. No. **RJ36RA3135** Date of Reg. **16/10/2017** Reg. Validity **15/10/2032**

Chassis No. **MBNAAEFPHJM00661**  
Engine No. **RHM2EBN0884**

Owner Sr. No. **02**

HPA



Fuel Used

**DIESEL**

Owner Name **FIROJ KHAN**  
Son/Daughter/Wife of

**RAEES MOHAMMAD**  
Address

**KHEDLIGADIYAN ATRU Baran RJ 325219**

*[Handwritten Signature]*



Reg. No.  
**RJ36RA3135**

Month & Yr. of Mfg.

**10/2017**

Wheel Base

**000000 mm**

Cubic Capacity

**001892**

\*No. of Cylinders

**03**

Unladen Weight (kgs)

**001850/001750**

Vehicle Class 

**Agricultural Tractor**

Maker's Name

**MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED**

Model Name

**275 DI**

Colour

**RED**

Body Type

**TRACTOR (OPEN)**

Seating Capacity

**001**

Tax Paid Upto

**N07225790R**




Form 23 A

**DINESH SING SAGAR**  
Registration Authority

**BARAN**

UNION OF INDIA **Driving Licence** (RJ) (NT+T)

RJ28 20080031427



जारी करने की तिथि  
Date of Issue  
**11/07/2008**

जन्म तिथि  
Date of Birth  
**14/01/1988**

वैधता / Validity  
10/07/2028  
13/05/2022

Blood Group



नाम / Name

**FIROZ KHAN**

पिता/पति का नाम / Son/Daughter/Wife of

**SH.RAISH MOHD.**

RJ28 20080031427

003218826R



LMV

11/07/2008



MCWG

11/07/2008



TRANS

14/05/2019



Badge No:1

OUTOFSTOC



Form 7 Rule 16(2)

पता / Permanent Address

KAWAI SALPURA TH. ATRU DIST. BARAN

,Kawai (CT)

Atru, Baran, RJ 325218

Holder's Signature

जाशिकर्ता / Issuing Authority Sign

BARAN



भारत सरकार

Government of India




फिरोज खान

Firoj Khan

जन्म तिथि/ DOB: 15/01/1988

पुरुष / MALE



**6195 7696 6987**

**मेरा आधार, मेरी पहचान**

फिरोज खान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:

S/O राईस मोहम्मद, खेडली गदियान,  
तह- अटरु, खेडली गदियान, बारां,  
राजस्थान - 325219

**Address:**

S/O Raees Mohammad, kherli  
gaddiyan, th- atru, Kherli  
Gaddiyan, Baran,  
Rajasthan - 325219

**6195 7696 6987**



1947



help@uidai.gov.in

www

www.uidai.gov.in

राजस्थान



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Rajasthan



e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ31757129188030W
Certificate Issued Date	: 20-Feb-2024 01:11 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ rj3069804/ CHIPA BAROD/ RJ-BR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ306980450791905121901W
Purchased by	: FIROJ KHAN SO RAEES MOHAMMAD KHERLIGADIYAN ATRU
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
First Party	: Food Department Rajasthan
Second Party	: FIROJ KHAN SO RAEES MOHAMMAD KHERLIGADIYAN ATRU
Stamp Duty Paid By	: FIROJ KHAN SO RAEES MOHAMMAD KHERLIGADIYAN ATRU
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 10 (Ten only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 10 (Ten only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	: 10 (Ten only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 130 (One Hundred And Thirty only)

₹130₹130₹130₹130

₹130₹130₹130₹130



*Handwritten signature*

PRADEEP KUMAR GAUTAM  
SHC/RA/ACC/VENDOR/2016-17/1066  
SLG COMPUTERS CHHIPABAROD

ATTESTED  
20/2/2024

0042766331

Identified by

Statutory Alert:  
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.rajstamp.gov.in](http://www.rajstamp.gov.in) or using eStamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.  
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the eStamp Certificate.  
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## शपथ पत्र

1. मैं फिरोज खान आयु .... वर्ष पुत्र रमेश जाति मुसलमान निवासी ~~खंडसी~~ गांवियान तह. अदरु जिला बारा राजस्थान का हूँ मैं सशपथ पूर्व बयान करता हूँ कि
2. मैं सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं फिरोज खान एक ट्रेक्टर नम्बर RJ36 RA 3135 चेचिस न. MBNAAAEPHJM00661 व ईजन न RHM2EBN0884 का पंजीकृत मालिक हूँ।
3. मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक 24/01/2024 को कवाई सालपुरा मेन रोड से पत्थर (बोल्डर) भरकर लाते समय वन विभाग कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया है। मैं यह पत्थर (बोल्डर) रूप से वन क्षेत्र से लाना कबूल करता हूँ। मेरे द्वारा वन अपराध होना/किया जाना मैं स्वीकार करता हूँ।
4. मैं सशपथ पूर्व बयान करता हूँ कि उक्त वाहन ट्रेक्टर को विभागीय स्तर पर नियमानुसार जुर्माना निर्धारित कर वाहन को छोड़ने की कोशिश करे। विभाग द्वारा जो भी जुर्माना निर्धारित किया जावेगा उसको अदा करने/जमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे द्वारा भूल वश वन भूमि में जाकर अवैध खनन/परिवहन किया गया है।
5. मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि भविष्य में ~~ड्राइवर~~ दिलीप पुत्र रमेश हरिजन कभी भी अपने ट्रेक्टर नम्बर RJ36 RA 3135 चेचिस न. MBNAAAEPHJM00661 व ईजन न RHM2EBN0884 को वन क्षेत्र में नहीं ले जाऊंगा और नहीं कोई वन अपराध करूंगा यदि दोबारा ऐसा होता है तो वन विभाग द्वारा मेरे वाहन को जप्त कर राजसात कर लिया जावे।
6. मैं सशपथ पूर्व बयान करता हूँ कि मेरा ट्रेक्टर RJ36 RA 3135 चेचिस न. MBNAAAEPHJM00661 व ईजन न RHM2EBN0884 जिसको वन विभाग द्वारा कर्मचारियों ने अवैध खनन/परिवहन करते हुए जप्त किया है जिसका मेरे पास व्यवसाय कार्य करने हेतु परमिट है/नहीं है।

दिनांक 20/02/2024



हस्ताक्षर शपथकर्ता

व्याप्त

मे निरूपन सुधार करिक व. र. माकापकारी क्वार्ड काज विनोड  
 20/1/2024 को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कर्मचारी खनन परीक्षा  
 के विद्युत अभियान के तहत श्रीमान श्री. वन अधिकारी अरुण मय  
 स्टॉप के साथ सरकारी वाहन बोलेरो R328 PA 1556 के माका नो 6 डी  
 क्वार्ड चम्बल डायलॉग पर सरहद गाम सिंधनी मे कर्मचारी खनन कर पत्थर  
 ड्रेजर-डोली के भरकर धानिडा की तरफ ले जाने का विमापन प्राप्त हुए  
 सामने से उक्त ड्रेजर-वाहन दिवार डिवा विसे रोडमे के लिए  
 धक्के दे ईशारा कर रुकवाया गया ड्रेजर-चालक से ब्रदताई करने पर  
 उमने अपना नाम दिलिप शो रमेश जाति धरिजन शि. क्वार्ड सालपुरा  
 ग. कचु अलाया ड्रेजर डोली के कोपूड पत्थर के बोरे मे ब्रदताई  
 करने पर वाहन चालक द्वारा उक्त पत्थर गाम सिंधनी के पास  
 स्थित वन क्षेत्र से खनन कर लाना अलाया इस प्रकार वन अधीनस्थ  
 कारिल पाये जाने पर राज. वन अधि. 1953 के अन्तर्गत प्रकरण  
 दर्ज कर मोके के फालोकेष मोके पर लैयार कर ड्रेजर मय डोली को  
 बाहराज कर धाना परिसर मोके मे लाकर खरा डिया गया।

(M) व. र.  
 माकापकारी  
 क्वार्ड

वमान

20/02/2024

मैं दिलीप ड/0 रमेश जाति - हरिजन नि. कर्षि सालपुरा तह. अरर  
जिला - बारा का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 20/02/2024 को वमान करता  
हूँ कि दिनांक 24.01.024 को मैं अपने मालिक को बिना बताये उनका डेयर  
मम शही लेकर पत्थर लेने चला गया। मुझे मेरे खेत में देवता का चबूतरा  
बनाना या इसलिए मैं जंगल से पत्थर लेने चला गया। मैं पत्थर भरकर  
तापख भा रहा था रास्ते में हानिहदा ग्राम में वन-विभाग वाले ने उसे  
रुकवा लिया और पत्थर भरकर लाने की परमिशन मांगी मेरे पास कोई  
परमिशन नहीं थी, मैं यह पत्थर जंगल से भरकर ला रहा था मुझे  
पता नहीं था जंगल से पत्थर भरकर लाना अपराध है जो भी अपराध  
हुआ है अनजाने में हुआ है अवित्त में ऐसा अपराध नहीं करूंगा।

मेरी मेरी वमान है जो बिना किसी जोर दबाव, बिना वश-पत्र के  
के रहा हूँ जो वक्त जरूरत काम आवे।

  
अ. नि.  
दिलीप

बयान

20/02/2024

मैं फ़िरोज खान D/O रहीसखान जाति मुस्लिम निवासी-खेडली गढ़ीमान  
260 - आरक्ष जिला-वांरा (राज.) का रहने वाला हूँ आज दिनांक 20/02/2024  
को बयान करता हूँ कि दिनांक 24/01/2024 को मैं अपने घर पर ही था  
मेरा शरिफर मुझे बिना बताये मेरा डैबरर मय सली लेकर चला गया।  
दो-तीन घंटे बाद मैंने शरिफर को फोन किया तो शरिफर ने फोन नहीं  
उठाया। थोड़ी देर बाद मेरे किसी मिलने वाले का फोन आया। उसने  
बताया कि आपका डैबरर वन-विभाग वाले ने पकड़ लिया है। मुझे  
नहीं पता था शरिफर पत्थर लेने गया था। जो भी अपराध हुआ  
है वह जानजाने में हुआ है अतिस्य में ऐसा अपराध नहीं करूँगा।

मेरी मेरी बयान है जो बिना किसी जोर स्वाब के दे रहा  
हूँ जो बसत जबरत काम आवे।

फ़िरोज खान



# The Report to be sent to Authorized Officer

Rajasthan Forest Act 1953 (Sanshodhit Adhiniyam 2013) of Section 52(2)

S. No. 90

Date - 7/02/24

To.

The Authorized Officer, ACF

(Baran)

The undersigned is enclosing her with a copy of seizure memo dated 24/01/2024 containing the following. FIR.No - 89-38

1	Particular of the property seized along with value of estimated value.	देवर माहिका लाल रंग 275-DI मय डोली Reg.No R33LRA 3135 5 लाख
2	Date, Time and Place of seizure.	24/01/2024 7:30 PM वनखण्ड अनाई-पञ्चाल इंडियन रिजर्व
3	Full particulars of the person or persons from whom the aforesaid property is seized.	डिलीप डी० रमेश धारी हरिजन सि. नंबर सालपुरा तह. कट्टा जिला-बारा
4	Particulars of offence or offence on account of which seizure was made.	कवैश ट्रप से वनभूमि में देवर मय डोली पत्थर कोला का खनन कर परिवहन करण
5	Full particulars of the owner of the seized property if such owner is known to the officer who has seized the property.	शिवोप खान डी० रही करवान कै. केसी- गशियान तह. कट्टा जिला- बारा रमि. 325219
6	Full particulars of the officer who had seized the property.	भारत राठोर डी० वन अधिकारी कट्टा
7	Whether the seized property has been released on supurdanama if so full particulars of the supurdanama.	धाना परिवार मोठपुर तह-कट्टा जिला- बारा
8	Reason for non-production of the seized property before the authorized officer.	राज. वन अधि. 1953 की धारा 32, 33 के पा, पश्चिम करण दर्प

भेजिब बिन अधिकारी  
Range Forest officer  
(Atru)

## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, एवं उप वन संरक्षक, बारां

क्रमांक:-

दिनांक:-

वन अधिहरणीय सम्पत्ति के प्रकरण संख्या ..... जरिये FIR NO 89/38 दिनांक 24.01.2024  
क्षेत्रीय वन अधिकारी, अटरू जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां

वन अपराध अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32,33 के अन्तर्गत अधिग्रहण प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू के पत्र क्रमांक 90 दिनांक 07.02.2024 से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सहायक वन संरक्षक, बारां को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां द्वारा अपने वाहन एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.RJ36 RA3135 चेचिस.न. MBNAAEFPHJM00661 (अनुमानित लागत 5 लाख ) वनखण्ड कवाई चम्बल कर्टिलाईजर से ट्रैक्टर मय ट्रौली से अवैध रूप से वन भूमि से चिनकारी पत्थर का परिवहन करते हुये दिनांक 24.01.2024 कार्यवाही करते हुये उपरोक्त वर्णित ट्रैक्टर मय ट्रौली को अधिग्रहीत कर वन अपराध प्रकरण संख्या 89/38 दिनांक 24.01.2024 को दर्ज किया एवं ट्रैक्टर मय ट्रौली को थाना परिसर मोठपुर तह. अटरू जिला बारां की सुपुर्दगी में दिया गया। मौका पंचनामा अनुसार मुल्जिम ने स्वयं का नाम दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां का होना बताया। उसके पास कोई रवन्ना व अन्य कागजात होना नहीं बताया।  
मुताबिक नजरी नक्शा उक्त स्थल वनखण्ड कवाई चम्बल कर्टिलाईजर के पास का दर्शाया है। वाहन एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.RJ36 RA3135 चेचिस.न. MBNAAEFPHJM00661 अवैध रूप से वन भूमि से चिनकारी पत्थर परिवहन करते हुये ट्रैक्टर मय ट्रौली अधिग्रहित की गई।

मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां

ने अपने बयान में बताया कि वह दिनांक 24.01.2024 को वह ग्राम सिंघनी के पास स्थित वन क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर बोल्टर ट्रैक्टर ट्रौली में भरकर ग्राम हानिहेडा में ले जाते हुए वन विभाग की गश्ती दल द्वारा पकड लिया गया। वह पत्थर बोल्टर में वन क्षेत्र से लाना कबुल करता है। वन अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया कि यह कृत्य वन अपराध व जंगलजुर्म की श्रेणी में आता है यह कृत्य जो उसके द्वारा किया गया है, जिसका वन विभाग का जितना जुर्माना बनता है उसे वह जमा करवाने के लिए तैयार है इतना सुनकर वन अधिकारी द्वारा उसको ट्रैक्टर ट्रौली पत्थर बोल्टर से भरी हुई को मोठपुर थाने में ले जाने को कहा गया। मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां की फर्द गिरपतारी की गई और स्वयं के मुचलके पर रिहा किया गया था। प्रकरण दर्ज होने के उपरांत मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां एवं वाहन मालिक श्री फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां को नोटिस क्रमांक 366-367 दिनांक 14.02.2024 के जरिये तलब किया गया एवं विभागीय पक्ष हेतु अधिग्रहणकर्ता अधिकारी श्री भारत राठौर क्षेत्रीय वन अधिकारी नाका कवाई रेंज अटरू को तलब किया गया। न्यायालय ACJM को निर्धारित प्रपत्र में सूचित किया गया। दिनांक 20.02.2024 को मुल्जिम द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किये गये।

1. मुल्जिम व ट्रैक्टर मालिक की फोटो आई.डी.।
2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
3. ड्राईविंग लाईसेंस

उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर शामिल प्रकरण दर्ज किया गया।

मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां ने दिनांक 20.02.2024 को अपने बयान में बताया कि दिनांक 24.01.2024 को वह अपने मालिक को बिना बताये उनका ट्रैक्टर मय ट्रौली लेकर पत्थर लेने चला गया। उसे अपने खेत में देवता का चबूतरा बनाना था, इसलिए वह जंगल से पत्थर लेने चला गया। वह पत्थर भरकर वापस आ रहा था रास्ते में हानिहेडा ग्राम में वन विभाग वालो ने उसे रूकवा लिया और पत्थर भरकर लाने की परमिशन मांगी उसके पास कोई परमिशन नहीं थी। वह यह पत्थर जंगल से भरकर ला रहा था उसे पता नहीं था कि जंगल से पत्थर भरकर लाना अपराध है। नाकंदार जी द्वारा ट्रैक्टर मय ट्रौली को जप्त कर रेंज अटरू ले गये। उसका कहना है कि जो भी अपराध हुआ है भूलवश हुआ है। उससे यह अपराध तो हो गया है भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यह उसका बयान है।

मालिक फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां ने दिनांक 20.02.2024 को अपने बयानों में उसने बताया कि दिनांक 24.01.2024 को वह अपने घर पर ही था। उसका ड्राईवर उसे बिना बताये उसका ट्रैक्टर मय ट्रौली लेकर चला गया। दो-तीन घण्टे बाद उसे ड्राईवर को फोन किया तो ड्राईवर ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसे किसी मिलने वाले का फोन आया, उसने बताया कि उनका ट्रैक्टर वन विभाग वालो ने पकड लिया है। उसे नहीं पता था ड्राईवर पत्थर लेने गया था। उन्हे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि पत्थर बोल्टर का परिवहन करना वन अपराध है जो भी वन अपराध हुआ है वह बिना जानकारी के हुआ है। अब अपराध तो उसके ड्राईवर द्वारा हो ही गया है। वह भी अनजाने में ही हुआ है। मगर वह इसका जो भी जुर्माना होगा वह देने को तैयार है। ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूंगा यही उसका बयान है।

अधिग्रहणकर्ता अधिकारी श्री भारत राठौर क्षेत्रीय वन अधिकारी नाका कवाई रेंज अटरू ने दिनांक 20.02.2024 को अपने बयानों में उसने बताया कि दिनांक 24.01.2024 को वह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान क्षै. वन अधिकारी अटरू मय स्टाफ के साथ सरकारी वाहन बोलेरो **RJ28 UA1556** से नाका मोठपुर बीड धाम आयेन की जंगल गश्त की जा रही थी तभी मुखवीर द्वारा वनखण्ड कवाई चम्बल फर्टिलाइजर सरहद ग्राम सिंघनी में अवैध खनन कर पत्थर ट्रैक्टर ट्रौली में भरकर हानिहेडा होते हुए सिंघनी की ओर जा रहे थे तभी सामने से उक्त ट्रैक्टर ट्रौली आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोकने के लिए हाथ से इशारा कर रूकवाया गया। ट्रैक्टर चालक से पुछताछ करने पर उसने अपना नाम दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां बताया कि ट्रैक्टर मालिक का नाम उसने बताया फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां बताया। । ट्रैक्टर ट्रौली में मौजूद पत्थर के बारे में पुछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा उक्त पत्थर ग्राम सिंघनी के पास स्थित वन क्षेत्र से खनन कर लाना बताया। इस प्रकार वन अपराध कारित पाये जाने पर राज. वन अधि. 1953 के अर्न्तगत प्रकरण दर्ज कर मोके के दस्तावेज मोके पर तैयार कर ट्रैक्टर मय ट्रौली को जप्त कर कर एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.**RJ36 RA3135** चेचिस.न. **MBNAAEFPHJM00661** ट्रैक्टर मय ट्रौली पत्थर से भरी हुई को थाना परिसर मोठपुर में लाकर खडा किया गया। और उनके द्वारा कार्यवाही की गई एवं वन अपराध पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में विचाराधीन प्रश्न निम्न है :-

1.क्या यह विश्वास करने का कारण है कि वन विषयक अपराध घटित हुआ है?पक्ष साक्ष्य के द्वारा दिये गये बयान अनुसार उक्त अपराध वन अपराध साबित होता है साथ ही साथ मुल्जिम मालिक व अधिग्रहण अधिकारी के बयानों में वन अपराध साबित हुआ है। अतः वन अपराध में प्रयुक्त वाहन एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.**RJ36 RA3135** चेचिस.न. **MBNAAEFPHJM00661** राजस्थान वन अधिनियम की धारा 32,33 व का अपराध सिद्ध होता है। एवं उक्त वाहन को वन अधिकारी श्री भारत राठौर क्षेत्रीय वन अधिकारी नाका कवाई रेंज अटरू द्वारा जप्त किया गया है जो सही है।

2.क्या उक्त सम्पत्ति पर वन अधिकारी द्वारा SEIZURE मार्क लगाया है? हों उक्त अधिग्रहीत सम्पत्ति पर वन अधिकारी द्वारा SEIZURE मार्क लगाया है।

3.क्या उस अपराध का जिसके कारण अधिग्रहण किया है विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को कार्यवाही आरम्भ किये जाने बाबत सूचना दी गई है? हों उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट श्रीमान ACJM अटरू को भिजवाई गई है।

4. उस व्यक्ति को जिससे सम्पत्ति अधिग्रहीत की गई है और किसी अन्य व्यक्ति को जिसके सम्बंध में ऐसी सम्पत्ति से उसका कोई हित से लिखित नोटिस जारी किया है? हों उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 366-367 दिनांक 14.02.2024 से मुल्जिम श्री दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां एवं वाहन मालिक फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां ।

5. क्या उक्त नोटिस की अवधि के दौरान अभियुक्त एवं मालिक द्वारा निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया था? हों अभियुक्त एवं मालिक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत हो अपने बयान पंजीकृत करा दिये थे एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे।

6. क्या वन अपराध कारित करने में वाहन मालिक की मौनानुकूलता थी? वाहन मालिक फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 24.01.2024 को जो वन अपराध किया गया है वो मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसे में अपराध वाहन मालिक कि मौनानुकूलता के बिना किया जाना सिद्ध हो रहा है।

निष्कर्ष:-

अभियोजना साक्ष्य एवं अनावेदक पक्ष की साक्ष्य एवं पत्रावली का पूर्ण अवलोकन करने पर ज्ञात होता है। कि FIR NO 89/38 दिनांक 24.01.2024 एक ट्रेक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.RJ36 RA3135 चेचिस.न. MBNAAAEFPHJM00661 द्वारा वन अपराध कारित किया गया है। परन्तु वाहन मालिक श्री फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां की मौनानुकूलता नहीं पायी गई।

राजस्थान राजपत्र 28 सितम्बर 1968 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एफ 2 (81) वन/93 दिनांक 19.08.1993 अनुसार वन अपराध का घटना स्थल रक्षित वन क्षेत्र घोषित है उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्थान वन अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2012 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्न आदेश दिया जाता है।


✓  
आदेश

क्रमांक 401

दिनांक 28/02/24

वन अपराध प्रकरण FIR NO 89/38 दिनांक 24.01.2024 एक ट्रेक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि. न.RJ36 RA3135 चेचिस.न. MBNAAAEFPHJM00661 के वाहन मालिक फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां की जानकारी एवं मौनानुकूलता नहीं पायी गई।

अतः अधिग्रहीत वाहन एक ट्रेक्टर महिन्द्रा 275 DI मय ट्रौली रजि.न.RJ36 RA3135 चेचिस.न. MBNAAAEFPHJM00661 को अधिहरण से मुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अपराध प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें। आज दिनांक 28.02.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी  
उप वन संरक्षक


बारां

दिनांक :- 28/02/24

क्रमांक 402-403

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अटरू।

2. वाहन मालिक श्री फिरोज खान पुत्र रहीस जाति मुसलमान नि. खेडली गद्दीयान तह. अटरू जिला बारां

  
प्राधिकृत अधिकारी  
उप वन संरक्षक

बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

क्रमांक एफ( )उ.व.स./2023-24/ 404

दिनांक:- 28/02/24


निमित्त:-

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अटरू।

विषय :- एफ. आई.आर. संख्या FIR NO 89-38 दिनांक 24.01.2024 को कम्पाउण्ड करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा एफ. आई.आर. संख्या FIR NO 89-38 दिनांक 24.01.2024 द्वारा दिलीप पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासी सालपुरा तह. अटरू जिला बारां का वाहन एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 275 DI रजि.न. RJ36 RA3135 चेसिस.नं. MBNAAAEFPJHM00661 मय ट्राली को अवैध रूप से वनभूमि से पत्थर चिनगारी भरकर परिवहन करते हुए अभिग्रहित किया गया था।

प्राधिकृत अधिकारी उप वन संरक्षक, बारां प्रकरण को राजसात की कार्यवाही से मुक्त करने का निर्णय दिनांक 28/02/24 किये जाने के फलस्वरूप एवं भविष्य में वन अपराध नहीं करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने तथा आपकी अनुशांषा के अनुसार प्रकरण कम्पाउण्ड योग्य होने के आधार पर वन अधिनियम 1953 की धारा 68 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पाउण्ड राशि रु. 31000/- जुर्माना ई-चालान से वसूल कर एक ट्रैक्टर मय ट्राली को मुक्त करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।



प्राधिकृत अधिकारी  
उप वन संरक्षक  
बारां

क्रमांक एफ( )उ.व.स./2023-24/ 405

दिनांक:-

28/02/24

प्रतिलिपि :- माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अटरू जिला बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।



प्राधिकृत अधिकारी  
उप वन संरक्षक  
बारां 01c

## **Annexure – 7**

Data on Actions Taken by the Forest Department in  
Kishanganj, Kelwara and Atru Ranges during 2022-23 &  
2023-24.

(किशनगंज, केलवाड़ा और अटरू रेंज में वन विभाग द्वारा  
की गई कार्रवाई।)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकरी अटरू

क्रमांक एफ/न्याय( )क्षै.व.अ./2024-25/५०१

दिनांक:- 21/10/2024

निमित्त:- श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय,  
बारा

विषय :- अवैध बजरी एवं अवैध पत्थर की सूचना भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :- कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक एफ/न्याय( )उ.व.सं.  
/2024-25/8325-27 दिनांक 10/10/2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना निम्नानुसार श्रीमान की सेवा मे सादर प्रस्तुत हैं।

क्र.स.	सूचना का विवरण	उत्तर
1	विगत दो वर्षों मे की गई कार्यवाही का विवरण	सूचना संलग्न प्रपत्र मे प्रेषित हैं।
2	कार्यवाही के समय पदस्थापित कर्मचारी का विवरण	
3	कुल वनक्षेत्र का विवरण	
4	गजट नोटिफिकेशन की कॉपी	
5	जवाब	रेंज अटरू अन्तर्गत वन क्षेत्र से अन्धेरी, पार्वती आदि नदिया निकलती है जिनमे कभी कभार निकटम ग्राम वासी अपनी स्वयं की जरूरतो के लिए अवैध रूप से रेती का खनन कर ले जाते है, एवं निकटम वनक्षेत्र से कभी कभार पत्थर बोल्डर एवं मिटटी का खनन कर ले जाते है जिन पर नियमित रूप से गस्त कर अवैध खनन की रोकथाम की जाती है एवं गस्त दौरान अवैध खनन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

6	संबंधित रेंजो से अखबार मे प्रकाशित खबर (खनन) गत 1 वर्ष की	संलग्न
---	---	--------

मामु  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अटरु

क्र.सं.	ग्राम भय कविवरण	अपराध का विवरण	FIR No.	प्रमाणता	जारीकर्ता के संभव सदस्यगणित कर्मचारी का विवरण	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल	वनखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टेयर	विशेषीकरण	दि.सं.
1	श्री विनोद S/O चन्दाशोकन किराड उम 32 वर्ष निवासी कोयला झाल मुकाम सारपुरा जिला बारा	वनखण्ड फूलबहीला में अकेल रूप से ट्रेक्टर मय ट्रैली द्वारा खेती बजरी का परिवहन करना	FIR No. 89-28 Date 30/04/2022	GRN No. 62705764 Date 27/05/2022 Amount 31000/-, D.D. no. 138590 Date 26/05/2022 Amount 100000 (NGT)	श्री देवकराम यादव वनपाल नाका प्रमारी कवार्ड	वनखण्ड फूलबहीला	154.43	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी मय डाली खनन करती है।
2	श्री कुलशोकन S/O पन्नालाल नारा निवासी कासपुरा लक्षित अटक जिला बारा	घोरी से वन भूमी में से अकेल रूप से खनन कर ट्रेक्टर मय ट्रैली द्वारा खेती मयकर परिवहन करना	FIR No. 62-93 Date 27/05/2022	GRN No. 63963124 Date 29/06/2022 Amount 31000/-, D.D. no. 955626 Date 28/06/2022 Amount 100000/- (NGT)	श्री राधेश्याम सहस्रिया सहायक वनपाल नाका प्रमारी मोठपुर	वनखण्ड मोठपुर कुपडी	1496.87	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
3	श्री सोनू S/O वर्धराज बजारा निवासी धनपुरिया लक्षित अटक जिला बारा	घोरी से अकेल रूप से अच्योरी नदी से ट्रेक्टर मय ट्रैली द्वारा खेत का परिवहन करना	FIR No. 90-14 Date 09/07/2022	GRN No. 66613098 Date 15/09/2022 Amount 31000/-, D.D. no. 103265 Date 16/09/2022 Amount 100000 (NGT)	श्री प्रेमनारायण मारदाल वनपाल नाका प्रमारी अटक	वनखण्ड वेनपुरा	275.09	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
4	श्री गजोन्द S/O कुलशोकन गुजूर निवासी उदयपुरिया गु. धा. अटक जिला बारा	वनखण्ड गोविन्दपुरा में वनभूमी में अकेल खनन कर ट्रेक्टर मय ट्रैली में पत्थर भरना	FIR No. 90-15 Date 02/08/2022	GRN No. 66924335 Date 27/09/2022 Amount 31000/-	श्री प्रेमनारायण मारदाल वनपाल नाका प्रमारी अटक	श्रीद घास गोविन्दपुरा	134.43	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
5	श्री उषम सिंह S/O विजय सिंह बजारा निवासी अटक निवासी गु. धा. अटक जिला बारा	वन भूमी से घोरी से मिट्टी ट्रेक्टर मय ट्रैली में भरना	FIR No. 90-16 Date 10/08/2022	GRN No. 66700437 Date 19/09/2022 Amount 31000/-	श्री प्रेमनारायण मारदाल वनपाल नाका प्रमारी अटक	वनखण्ड वेनपुरा	275.09	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
6	श्री डॉ. S/O कोमल प्रसाद दीनर (कायम) निवासी कवार्ड गु. धा. कवार्ड जिला बारा	वनखण्ड कुपडी मोठपुर के ग्राम कुपडी से ट्रेक्टर मय ट्रैली मूरी मिट्टी खोदना	FIR No. 62-99 Date 08/12/2023	GRN No. 84748398 Date 18/01/2024 Amount 31000/-	श्री योगेश दत्त सहायक वनपाल नाका प्रमारी मोठपुर	वनखण्ड मोठपुर कुपडी	1496.87	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
7	श्री रामनिवास S/O शिवराज गुजूर निवासी सिपला गु. धा. डिपवाडहीर जिला बारा	वनखण्ड कुपडी मोठपुर के ग्राम मोठपुर हाट चोक से मिट्टी का परिवहन ट्रेक्टर मय ट्रैली से करना	FIR No. 91-01 Date 27/12/2023	GRN No. 85497556 Date 09/01/2024 Amount 31000/-	श्री योगेश दत्त सहायक वनपाल नाका प्रमारी मोठपुर	वनखण्ड मोठपुर कुपडी	1496.87	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से कच्ची कच्ची डाली खनन करती है।
8	श्री सुरेन्द्र कुमार S/O मधुराज श्रीजा निवासी मोठपुर गु. धा. मोठपुर जिला बारा	वनखण्ड खेराई मोठीपुरा में अकेल रूप से पत्थर बाल्डर ट्रेक्टर मय ट्रैली से परिवहन करना	FIR No. 90-24 Date 30/12/2023	GRN No. 84563395 Date 12/01/2024 Amount 31000/-	श्री शकर कुमावत वनरक्षक नाका प्रमारी अटक/मोठपुर	वनखण्ड खेराई मोठीपुरा	1085.75	रक्षित वन	संरक्षण	वनखण्ड में कोयला बजरी से पत्थर बाल्डर का खनन करती है।

9	श्री सुरेशचन्द S/O राजकिशन देवा विवाही केरासिया गुवा भीरपुर जिला बांरा	वनाखण्ड केवाई मीठीपुरा में अंधे कप से पत्थर बोल्डर ट्रेकर मय ट्रेली से परिवहन करना	FIR No. 90- 25 Date 30/12/2023	GRN No. 84563182 Date 12/01/2024 Amount 31000/-	श्री शंकर कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक / मीठपुर	वनाखण्ड केवाई मीठीपुरा	1085.75 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पत्थर बोल्डर का खनन करते हैं।
10	श्री सुकमान S/O पुरुषोत्तमपुर सुरेशचान विवाही खेकरी गददीचान गु वा कवाई जिला बांरा	वनाखण्ड कवाई रेलवे पटरी के पारा से अंधे कप से पत्थर बोल्डर ट्रेकर मय ट्रेली में परकय परिवहन करना	FIR No. 89- 37 Date 13/01/2024	GRN No. 8553400 Date 10/02/2024 Amount 31000/-	श्री निरजन देवा वनाखक नाका प्रमारी कवाई	वनाखण्ड कवाई II	57.74 अर्वाकृत	अर्वाकृत	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पत्थर बोल्डर का खनन करते हैं।
11	श्री देवराज S/O श्रीकिशन श्रीवा विवाही गजेशी मगर अटक गुवा अटक जिला बांरा	अंधे कप से खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली द्वारा रेल जंक्ती का परिवहन करना	FIR No. 90- 26 Date 15/01/2024	GRN No. 85604430 Date 12/02/2024 Amount 31000/- + D.D.No. 002374 Date 12/02/2024 Amount 100000/- (NGT)	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड केनपुरा	275.09 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड में मीठपुर अंधेरी नदी से कभी कभी ग्राम वाली खनन करते हैं।
12	श्री सुबहिन S/O देवा श्री देवा विवाही केनपुरिया गु वा अटक जिला बांरा	वनाखण्ड केनपुरिया से अंधे कप से खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली द्वारा रेली का परिवहन करना	FIR No. 90- 27 Date 15/01/2024	GRN No. 86486011 Date 05/03/2024 Amount 31000/- + D.D.No. 002426 Date 05/03/2024 Amount 100000/- (NGT)	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड केनपुरा	275.09 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड में मीठपुर अंधेरी नदी से कभी कभी ग्राम वाली खनन करते हैं।
13	श्री सुबहन्द S/O देवा राज देवा विवाही केनपुरिया गु वा अटक जिला बांरा	वनाखण्ड केनपुरिया से अंधे कप से खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली द्वारा रेली का परिवहन करना	FIR No. 90- 28 Date 15/01/2024	GRN No. 86486228 Date 05/03/2024 Amount 31000/- + D.D.No. 002427 Date 05/03/2024 Amount 100000/- (NGT)	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड केनपुरा	275.09 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पिट्टी का खनन करते हैं।
14	श्री जयन्द S/O रामलाल राजदेव विवाही 56 नम्बर याटक अटक गुवा अटक जिला बांरा	वनाखण्ड केनपुरिया में अंधे कप से पिट्टी खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली द्वारा परिवहन करते जब किरा	FIR No. 90- 29 Date 21/01/2024	GRN No. 85499121 Date 09/02/2024 Amount 31000/-	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड केनपुरा	393.57 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पिट्टी का खनन करते हैं।
15	श्री केक S/O कर्केश्यालाल गुर्जर विवाही शय्या जयसिंह गु जिला विवाहाण्ड	वनाखण्ड मीठपुर में अंधे कप मशीन द्वारा पिट्टी खनन करना	FIR No. 90- 30 Date 23/01/2024	GRN No. 88371978 Date 16/04/2024 Amount 51000/-	श्री निरजन देवा वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड Isid&lind	237.93 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पत्थर बोल्डर का खनन करते हैं।
16	श्री दिनेश S/O रमेश हरिजन विवाही कवाई खालपुर गुवा कवाई जिला बांरा	वनाखण्ड कवाई वनबल वाटिकाईजर से पत्थर बोल्डर का खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली के परिवहन करना	FIR No. 89- 38 Date 24/01/2024	GRN No. 86251823 Date 28/02/2024 Amount 31000/-	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड खालपुर Isid&lind	393.57 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पत्थर बोल्डर का खनन करते हैं।
17	श्री फिरोज S/O ककरलाल सादेव विवाही अटक गुवा अटक जिला बांरा	वनाखण्ड खालपुर में अंधे कप से पत्थर बोल्डर का खनन कर ट्रेकर मय ट्रेली में परिवहन करना	FIR No. 90- 31 Date 27/01/2024	GRN No. 86248313 Date 28/02/2024 Amount 31000/-	श्री धीरज कुमार वनाखक नाका प्रमारी अटक	वनाखण्ड खालपुर Isid&lind	393.57 रक्षित वन	संलग्न	वनाखण्ड से कभी कभी ग्राम वाली पत्थर बोल्डर का खनन करते हैं।

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज(बारां)

क्रमांक:एफ/वि.स./क्षैवअ/2024-25/206

दिनांक 21/11/2024

निमित्त:- श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय

बारां

विषय :- अवैध बजरी एवं अवैध पत्थर की सूचना भिजवाने बाबत ।


प्रसंग :- कार्यालय उपवन संरक्षक,बारां के पत्र क्रमांक एफ/( ) उ.व.स./ 2024-25/ 8325-27 दिनांक 10.10.2024 के क्रम में ।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के में निवेदन है कि आपके पत्र द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार तैयार कर श्रीमान की सेवा में प्रेषित हैं।

क्र.सं.	सूचना का विवरण	उत्तर
1	विगत दो वर्षों में की गई कार्यवाही	सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रेषित है।
2	कार्यवाही के समय पदस्थापित कर्मचारी का विवरण	
3	कुल वनक्षेत्र का विवरण	
4	गजट नोटिफिकेशन की कॉपी	
5	जवाब	रेंज किशनगंज अन्तर्गत वन क्षेत्र में निकतम वाली कुल नदी पार्वती, नदी व अन्य छोटे बड़े नाले में कभी कभार ग्राम वासी अपनी स्वयं की जरूरतों के लिए अवैध रूप में पत्थर मिट्टी,रेती,का निकटतम वनक्षेत्र से कभी कभार खनन कर ले जाते है जिन पर नियमित रूप से गस्त कर अवैध खनन की रोकथाम की जाती है,एवं गत दौरान अवैध खनन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
6	संबंधित रेंजों से अखबार में प्रकाशित खबर (खनन) गत वर्ष की ।	संलग्न


भवदीय

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
किशनगंज

**कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज**

विगत दो वर्षों में अवैध खनन रेत पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम	वर्ग	नाम मय बालिवरत	F.I.R NO/ date	अपराध का विवरण	किस	रचना नं./दिनांक	मुआवजा	अभिग्रहण कर्ता का नाम	दि.वि
1	समगाड	कुन्जी सुवास	नाम ना मालुम	128-27/27.12.2023	समगाड केलपुरीजी माहागज के पास ट्रेली में रेली भरकर	खनन	फंडिंग	0	श्री राधेश्याम सहरिया सहायक वनपाल	7
1				3	4	4	5	6		
1	समगाड	उममंदसागर	नाम ना मालुम	128-3/25.04.2023	उममंदसागर में पत्थर बोलडर तोड़ना	खनन	फंडिंग	0	श्री दीनदयाल सहरिया सहायक वनपाल	
2	समगाड	उममंदसागर	नाम ना मालुम	128-4/27.04.2023	उममंदसागर में पत्थर बोलडर तोड़ना	खनन	फंडिंग	0	श्री दीनदयाल सहरिया सहायक वनपाल	
3	किशनगंज	बासधूनी	श्री मानसिंह पुत्र श्याजी बंजारा निवासी तेजाजी का डाण्डा	127-26/08.08.2023	बासधूनी सी में पत्थर बोलडर तोड़ना	खनन	693-33/8.8.2023	500	श्री पवन सहरिया सहायक वनपाल	
4	किशनगंज	बासधूनी	श्री सुरज पुत्र जगदीश अहेडी निवासी गाडीधट्टा	127-41/23.9.2023	5	खनन	696-4/23.09.2023	5000	श्री पवन सहरिया सहायक वनपाल	
5	समगाड	कुन्जी सुवास	श्री रामनिवास पुत्र बंवरलाल सहरिया निवासी माध्या	128-25/02.12.2023	कुन्जी सुवास अवैध पत्थर विनाशी तोड़ना	खनन	565-41/02.12.2023	5000	श्री राधेश्याम सहरिया सहायक वनपाल	
6	समगाड	कुन्जी सुवास	श्री वन्दी पुत्र धूमा बंजारा निवासी बकनपुरा	128-28/02.12.2024	कुन्जी सुवास अवैध पत्थर विनाशी तोड़ना	खनन	565-42/02.12.2023	2100	श्री राधेश्याम सहरिया सहायक वनपाल	
7	समगाड	उममंदसागर	श्री गोवर्धन पुत्र जागेश्वर माली निवासी उमरिया धाना किशनगंज जिला ईन्दौर	128-18/28.12.2023	उममंदसागर में पत्थर बोलडर तोड़ना	खनन	ई बालान 84580835/12.1.2024	71000	श्री दीनदयाल सहरिया सहायक वनपाल	1 जेसीबी ट्रेक्टर मय ट्रेली जका
9	किशनगंज	किशनगंज	श्री मोहित पुत्र गोबरी लाल सुमन निवासी सानिबडीद	127-45/5.02.2024	वनखण्ड किशनगंज के पास भिसाई रोड बरडिया में ट्रेक्टर टोली से पत्थर परिवहन करना	खनन	696-16	31000	श्री पवन सहरिया सहायक वनपाल	1 ट्रेक्टर मय ट्रेली जका
10	समगाड	उममंदसागर	नाम ना मालुम	128-20/1.3.2024	वनखण्ड उममंदसागर के जगदीशपुरा रोड के पास पत्थर ईकट्टा करना	खनन	694-41/02.3.2024	11000	श्री दीनदयाल सहरिया सहायक वनपाल	
11	समगाड	उममंदसागर	श्री गुमान सिंह पुत्र शिवजी लाल मेहेता निवासी केलवाडा	128-21/7.4.2024	अवैध रूप से पत्थर बोलडर तोड़ना	खनन	694-42/1.05.2024	1100	श्री दीनदयाल सहरिया सहायक वनपाल	
12	कचवरी कला	वांझआमली	श्री पोखर पुत्र अमर लाल बंजारा निवासी खण्डेला	99-75/16.06.2024	वनखण्ड वांझआमली में ट्रेक्टर टोली से पत्थर बोलडर भरकर परिवहन करना	खनन	ई बालान 90834353/2	31000	श्री विनोद सहरिया सहायक वनपाल	1 ट्रेक्टर मय ट्रेली जका
								योग	157700	

भवदीय  
  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 किशनगंज

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाड़ा

क्रमांक/एफ/न्याय( )क्षे.व.अ./2024-25 / 394

दिनांक 20/11/24

निमित्त :- श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय,  
बारां

विषय :- अवैध बजरी एवं अवैध पत्थर की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- कार्या उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक एफ/न्याय( ) उ.व.स./2024-25/8325

-27 दिनांक 10/10/2024 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि

आपके द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	सूचना का विवरण	उत्तर
1	विगत दो वर्षों में की गई कार्यवाही	सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रेषित हैं।
2	कार्यवाही के समय पदस्थापित कमचारी का विवरण	
3	कुल वनक्षेत्र का विवरण	
4	गजट नोटिफिकेशन की कॉपी	
5	जबाब	रेन्ज केलवाड़ा अन्तर्गत वन क्षेत्र से निकतम वाली भैसासुर, घण्डावली, सुकेल, धनसूरी नदिया व अन्य छोटे बड़े नाले हैं, जिनमें कभी कभार निकतम ग्राम वारी अपनी स्वयं की जरूरतों के लिए अवैध रूप से पत्थर, रेती, मिट्टी का निकटतम वनक्षेत्र से कभी कभार अवैध खनन कर ले जाते हैं जिन पर नियमित रूप से गस्त कर अवैध खनन की रोकथाम की जाती है, एवं गस्त दौरान अवैध खनन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं।
6	संबंधित रेंजों से अखबार में प्रकाशित खबर (खनन)गत 1 वर्ष की	संलग्न

भवदीय

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी

केलवाड़ा

## कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाड़ा

दिनांक दो वर्षों में अवैध खनन रेल पर की गई कार्यावली का विवरण :-

क्र.सं.	नाका	वनखण्ड	मीजा	नाम अपराधी नाम व पता	F.I.R.No./date	अपराध का विवरण	किसी अपराध	अभिप्रेक्षण कर्ता का नाम /पद/पता	रवाना नं./दिनांक	मुआवजा राशि	फि0दि0
1	खटका	खटका ९	-	सुरेश पुत्र बुद्धीप्रकाश सहस्रिया फि0 दांता	147-19/05.04.2024	80ख0 खटका वी में अवैध रूप से मिट्टी मिली रेली ट्रेक्टर मय ट्रेली में भरना सुखेल नदी के पास	खनन	श्री जनकार सिंह वनपाल नाका खटका	89434380/19.04.2024	31000	-
योग											
										31000	

दिनांक दो वर्षों में अवैध खनन पर की गई कार्यावली का विवरण :-

क्र.सं.	नाका	वनखण्ड	मीजा	नाम अपराधी नाम व पता	F.I.R.No./date	अपराध का विवरण	किसी अपराध	अभिप्रेक्षण कर्ता का नाम /पद/पता	रवाना नं./दिनांक	मुआवजा राशि	फि0दि0
1	खटका	तेलनी वी	मुडाल	जयलाल पुत्र प्यारलाल जाति जाटव फि0 कालीमढी तह0केशनगज जिला बारा	71-93/12.06.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 10-12 ट्रेली का ठेर 80ख0तेलनी वी मीजा मुडाल	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-11/12.06.2023	5000	-
2	खटका	तेलनी सी	सेमरा	मनोज पुत्र हरिचरण किराड फि0 मणसापुरा	120-3/12.08.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 10-12 ट्रेली	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-20/12.08.2023	2100	-
3	खटका	तेलनी सी	उवावद	सौदान पुत्र सोमनाथ फि0 उदक तह0 शाहवाव जिला बारा	120-6/18.08.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर कोट करना अन्व0 4-5 टीया	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-23/18.08.2024	3500	-
4	खटका	राणपुर ९	बहराई	मुकेश पुत्र रत्नसिंह मील फि0 सुधा तह0 शाहवाव जिला बारा	120-7/04.09.2023	वनभूमि में नाले में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 एक का ठेर ट्रेली	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-24/04.09.2023	5000	-
5	केलवाड़ा	खिरिया वी	पहाडी	विष्णु पुत्र मंशा सहस्रियर फि0 केलवाड़ा	119-53/07.10.2023	वनभूमि में अवैध रूप से ट्रेक्टर - ट्रेली में पत्थर चिनगारी भर कर ले जाना 80 ख0 खिरिया वी मीजा पहाडी जगह पर ट्रेल पम्प के पास	खनन	श्री रामकिशन नागर वनपाल नाका केलवाड़ा	81747017/17.10.2023	25000	-
6	केलवाड़ा	सीतावाडी	अजरांजा	किशाना पुत्र नालीथा शील फि0 खनक	119-57/09.10.2023	80 ख0 सीतावाडी में खोली से वनभूमि में पत्थर इकट्टा करना अजरांजा रोड के पास	खनन	श्री रामकिशन नागर वनपाल नाका केलवाड़ा	748-31/09.10.2023	2000	-
7	खटका	तेलनी वी	खैलना	मुकेश पुत्र पन्वारी महेला फि0 मुडाल तह0 शाहवाव जिला बारा	120-13/23.10.2023	वनभूमि में अवैध रूप से जगह-बेजगह पत्थर की ठेरी कर के वनना अन्व0 8-10 वीया में 80 ख0 तेलनी वी मीजा खैलना 1-2 नाह पूर्व	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-31/23.10.2023	10000	-
8	खटका	राणपुर ९	बहराई	धूमनाथराज पुत्र गुलाबचन्द किराड फि0 अजरांजा तह0 शाहवाव जिला बारा	120-15/10.11.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 5-6 ट्रेली 80 ख0 राणपुर ९ मीजा बहराई 15 दि पूर्व	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-33/10.11.2023	10000	-
9	खटका	तेलनी वी	जखानी	नाम ना मार्ग	120-18/10.12.2023	वनभूमि में स्थित एक नाले में से अवैध रूप पत्थर चिनगारी टोडकर ठेर करना अन्व0 1-2 ट्रेली का ठेर 80ख0तेलनी वी मीजा जखानी गुगली नाला	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-46/08.04.2024	1100	-
10	खटका	तेलनी वी	सेमरा	पद्मचन्द पुत्र बाबुलाल किराड फि0 खैराई तह0 शाहवाव जिला बारा	120-19/14.12.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 10-11 वीया में 80ख0तेलनी वी मीजा सेमरा	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-35/14.12.2023	10000	-
11	खटका	तेलनी वी	खैलना	सुरेश पुत्र हरिसिं सोनिया फि0 मुठिचवर तह0 शाहवाव जिला बारा	120-23/20.12.2023	वनभूमि में अवैध रूप से पत्थर बाल्डर खोदकर ठेर करना अन्व0 1-2 ट्रेली का ठेर 80ख0तेलनी वी मीजा खैलना	खनन	श्री सुरेश कुमार सह0 वनपाल नाका खटका	730-40/20.12.2023	5000	-
12	केलवाड़ा	सीतावाडी	दांता	हेमराज पुत्र फूलचन्द सहस्रिया फि0 दांता तह0 शाहवाव जिला बारा	119-73/30.12.2023	वनभूमि में अवैध रूप से नाले में से पत्थर चिनगारी ट्रेक्टर मय ट्रेली में भर कर लाना एक ट्रेक्टर मॉडिन 475 DI लाल रंग माय ट्रेली	खनन	श्री रामकिशन नागर वनपाल नाका केलवाड़ा	84734534/18.01.2024	31000	-

13	केलवाडा	सीतावाडी	सीतावाडी	कंक्यालाल पुत्र जालम साहिया नि० धनावदा ज०६० यासबावद जिला बावा	119-74/10.01.2024	जगन्नि मे अहेव रूप से परवर विनागरी भरवर डेक्टर मय टोली मे परवर विनागरी भरवर मय कर लले पुए एकटा सीतावाडी से कलोनिज सेड पर क० ख० सीतावाडी मीजा सीतावाडी	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	8653459/06.03.2024	31000	-
14	केलवाडा	सीतावाडी	कलोनिज	बाला पुत्र जालम भीर नि० सीतावाडी	119-75/11.01.2024	क० ख० सीतावाडी मीजा कलोनिज नाके पास परवर परवर एकटा कलवा	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	748-49/11.01.2024	3000	-
15	केलवाडा	सीतावाडी	दाता	दयाल पुत्र अमरसिंह साहिया नि० दाता केलवाडा	119-76/25.01.2024	जगन्नि मे अहेव रूप से नाते से परवर विनागरी डेक्टर मय टोली भर कर लाना एक डेक्टर महिन्दा रंग मय टोली	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	86276914/29.02.2024	31000	-
16	केलवाडा	विशिया शी	सुशियावा	शिशुपाल पुत्र सुदा साहिया नि० सुशियावा कलोनी	119-77/26.01.2024	क० ख० विशिया शी सुशियावा कलोनी जवावत के सामने एक डेक्टर मय टोली परवर से भरव पुत्रा एकटा साहिया कल्या छात्रावास सुशियावा कलोनी के सामने	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	86277944/29.02.2024	31000	-
17	केलवाडा	सीतावाडी	अजयका	जोनेन्द पुत्र शिशुपाल जालम साहिया नि० सुन्दा व०६० शिसावाज जिला बावा	119-82/18.03.2024	जगन्नि मे से अहेव रूप से परवर बोल्डर तोडकर डेक्टर मय टोली मे भरना क० ख० सीतावाड मीजा अजयका एक डेक्टर महिन्दा 275 DI XP Plus लान रंग मय टोली	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	87609672/28.03.2024	11000	-
18	खटका	याजपुर र	बहावई	जुगल पुत्र श्यामलाल साहिया नि० धनावदा व०६० यासबावद जिला बावा	120-28/18.03.2024	जगन्नि मे अहेव रूप से धन सबल से परवर बोल्डर तोडना अन्दा० अमी टोली क० ख० याजपुर र मीजा बहावई 5 धन 4 सबल के साथ मुकदमा दर्ज किया	खनन	श्री सुरेश कुमार सहजो बनपाल नाका खटका	730-45/21.03.2024	2100	-
19	खटका	बेलनी शी	डेकुना	रुगाना पुत्र फुखा साहिया नि० कालीमारी व०६० शिसावाज जिला बावा	120-34/17.06.2024	जगन्नि मे अहेव रूप से बोल्डर जोडकर डेर करना अन्दा० 5-6 टोली क० ख० बेलनी शी मीजा डेकुना पूट लाला के पास एक माड पुई	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	763-8/17.06.2024	10000	-
20	केलवाडा	सीतावाडी	दाता	संभव पुत्र सुदीपकान साहिया नि० दाता व०६०	146-2/09.07.2024	जगन्नि मे अहेव रूप से परवर बोल्डर तोडकर डेक्टर मय टोली मे भर कर लाना एक डेक्टर महिन्दा रंग मय टोली क० ख० सीतावाडी मीजा दाता एक डेक्टर महिन्दा DI XP PLUS रंग मय टोली लाना क० अ०६० 1983 की बावा 92.33 के तहत	खनन	श्री रामकिशन नागर बनपाल नाका केलवाडा	92105279/19.07.2024	31000	-
योग										259800	
महा योग										290800	

प्रादेशीय  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 केलवाडा

## **Annexure – 8**

News articles published in newspapers over the past year regarding actions taken against illegal mining.

(गत वर्ष में अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।)

ATRU RANGE



बारां 02-10-2024

## अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

क्याड़ी वन क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि वन खंड कवाई चंबल फर्टिलाइजर से अवैध रूप से पत्थर बॉर्डर का खनन करते हुए जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाना परिसर अटरू में खड़ा किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़, योगेश, निरंजन बैरवा, बलराम साहरिया, धीरज साहरिया, विजय कुमार आदि मौजूद थे।

वन विभाग की कार्रवाई

# पत्थर का अवैध खनन करते दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com

कवाई. वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में चोरी छुपे हो रहे अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सोमवार को वन खंड के अंतर्गत अवैध खनन करते हुए बोल्टर पत्थर से भरे दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। वन अधिकारी ने बताया कि उप वन संरक्षक के निर्देश पर सोमवार को क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू भारत राठौड़ के नेतृत्व में नाका कवाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र वन खंड कवाई सेकंड से पत्थर बोल्टर का खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरते हुए व दूसरे ट्रैक्टर को पत्थर ले जाते हुए पकड़ा गया। ट्रॉली ऊंची कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम को देख वहां हड़कंप मच गया और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से सभी लोग फरार हो गए। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को डिटैन कर थाना परिसर अटरू में खड़ा करवाया। बगैर मलिक का नाम पते के मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग टीम



## चंद मिनटों में ही चोरी हो गई मोटरसाइकिल

छबड़ा. शास्त्री नगर से सोमवार सुबह घर के बाहर से खड़ी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश प्रारंभ कर दी है। शास्त्री नगर में रहने वाले प्रवीण जैन ने बताया कि उन्होंने सुबह 5.30 बजे घूमने जाने के लिए बाइक घर से बाहर खड़ी की। इसके बाद वो ताला लगाने गए। ताला लगाकर आए तो बाइक कोई ले उड़ा था। उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर बाइक चोरी की जानकारी दी।

के सदस्य बलराम सहरिया, निरंजन बैरवा, धीरज कुमार, विजय कुमार, बृज मोहन गुर्जर, देवलाल माली आदि शामिल रहे।

# अवैध खनन करते ट्रॉली, जेसीबी जब्त



अटरू @ पत्रिका. वन विभाग ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी मशीन को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि जिला उपवन संरक्षक के आदेश अनुसार वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वन कर्मियों की टीम बनाकर वन क्षेत्र चैनपुरा में अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली, वन खंड गोविंदपुरा में अवैध रूप

से मिट्टी खोदते जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबड़ौद हेमेंद्र कुमार, शंकर कुमावत, योगेश दत्त, निरंजन बैरवा, रमेश गढ़वाल, धर्मचंद गुर्जर मौजूद रहे। इधर, बारां कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बरड़िया इलाके से पत्थर का अवैध खनन करने के मामले में दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। दोनों वाहनों को खनिज विभाग को सौंप दिया गया है।

# अवैध खनन करते ट्रॉली, जेसीबी जब्त



अटरू @ पत्रिका. वन विभाग ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी मशीन को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि जिला उपवन संरक्षक के आदेश अनुसार वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वन कर्मियों की टीम बनाकर वन क्षेत्र चैनपुरा में अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली, वन खंड गोविंदपुरा में अवैध रूप

से मिट्टी खोदते जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबड़ौद हेमेंद्र कुमार, शंकर कुमावत, योगेश दत्त, निरंजन बैरवा, रमेश गढ़वाल, धर्मचंद गुर्जर मौजूद रहे। इधर, बारां कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बरड़िया इलाके से पत्थर का अवैध खनन करने के मामले में दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। दोनों वाहनों को खनिज विभाग को सौंप दिया गया है।

## अवैध खनन करते ट्रॉली, जेसीबी जब्त



अटरू @ पत्रिका. वन विभाग ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी मशीन को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि जिला उपवन संरक्षक के आदेश अनुसार वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वन कर्मियों की टीम बनाकर वन क्षेत्र चैनपुरा में अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली, वन खंड गोविंदपुरा में अवैध रूप

से मिट्टी खोदते जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबड़ौद हेमेंद्र कुमार, शंकर कुमावत, योगेश दत्त, निरंजन बैरवा, रमेश गढ़वाल, धर्मचंद गुर्जर मौजूद रहे। इधर, बारां कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बरड़िया इलाके से पत्थर का अवैध खनन करने के मामले में दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। दोनों वाहनों को खनिज विभाग को सौंप दिया गया है।

## धूप में तेजी रहने से मिली राहत

बारां @ पत्रिका. शहर समेत जिलेभर में सोमवार को न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने से लोगों को राहत मिली है। दो-तीन दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया था। इसके चलते हाड कंपाती सर्दी का अहसास था। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। सुबह जल्दी उठकर कार्यालय व व्यापार आदि को जाने वाले लोगों को मोशानी उठानी पड़ रही थी। सोमवार को सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। दोपहर की बजे

## पत्थर का परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



अटरू. वन विभाग की टीम ने बुधवार को वन भूमि पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर उसे थाने में खड़ा कराया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि अटरू रेंज के नाका अटरू के वन खंड रतनपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर लोडर द्वारा मिट्टी खोदकर भरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राठौर के अलावा, धीरज कुमार, बलराम सहरिया बृजमोहन गुर्जर शिवानी सहरिया कृष्ण गोपाल, जाकिर हुसैन, विजय कुमार आदि शामिल रहे।

र से उसी बाइक पर  
के बाद उसने अपने  
को परीक्षा सेंटर भी  
गाखरी में स्वयं के  
ते समय नियत स्थान  
पाया। बताया जाता  
पिता का देहवसान  
था। घटना के बाद  
पसरा था। बुधवार  
त की खबर मिली  
गा।

## ट पहने होता

मोंत का शिकार हुए  
ममेंट पहने होता तो  
जाती। क्योंकि  
साथ साथ मिर में  
जिससे चार दिन  
नी वचाया जा

## पत्थर का परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



अटरू वन विभाग की टीम ने बुधवार को वन भूमि पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर उसे थाने में खड़ा कराया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि अटरू रेंज के नाका अटरू के वन खंड रतनपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर लोडर द्वारा मिट्टी खोदकर भरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राठौर के अलावा, धीरज कुमार, बलराम सहरिया बृजमोहन गुर्जर शिवानी सहरिया कृष्ण गोपाल, जाकिर हुसैन, विजय कुमार आदि शामिल रहे।



**34.0°**  
अधिकतम

ह्यूमिडिटी : 6  
हवा की गति : 1



राजकीय म  
में प्राथमि  
क से प्र



## पत्थर का परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



अटरू. वन विभाग की टीम ने बुधवार को वन भूमि पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर उसे थाने में खड़ा कराया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि अटरू रेंज के नाका अटरू के वन खंड रतनपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर लोडर द्वारा मिट्टी खोदकर भरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राठौर के अलावा, धीरज कुमार, बलराम सहरिया बृजमोहन गुर्जर शिवानी सहरिया कृष्ण गोपाल, जाकिर हुसैन, विजय कुमार आदि शामिल रहे।

## अवैध खनन पर ट्रैक्टर- ट्रॉली पकड़ी

छीपाबड़ौद। वन विभाग ने वनभूमि में अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। उपखंड अधिकारी कृष्ण मुरारी मीणा, सारथल थानाधिकारी गंभीर सिंह, वनकर्मी लोकेश कुमार, भगवान सिंह, रमेश कुमार गढ़वाल कार्रवाई में शामिल रहे।

अटरू। वनभूमि में अवैध खनन पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। नाकेदार शंकर ने बताया कि वन खंड रतनपुरा में गश्त के दौरान वन क्षेत्र में अवैध खनन कर पत्थर चिंगारी ट्रॉली में भरते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर अटरू में खड़ा किया है। भारत राठौड़ क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू, धीरज कुमार नाका प्रभारी, बलराम सहरिया, निरंजन कुमार बैरवा, धर्मचंद गुर्जर, बृजमोहन गुर्जर, रामस्वरूप मीणा आदि मौजूद रहे।

## अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई जारी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, खुदाई करवाकर बंद किए रास्ते



कवाई @ पत्रिका. वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को वन खंड के अंतर्गत अवैध खनन करते हुए बोल्टर पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू भारत राठौड़ ने बताया कि कवाई वन क्षेत्र में अवैध खनन होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर उप वन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू भारत राठौड़ के नेतृत्व में नाका कवाई क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस दौरान वन खंड कवाई सेकंड के अदानी पावर प्लांट व रेलवे लाइन के बीच वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन

कर खेडली रेलवे फाटक के पास टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पत्थर ले जाते हुए पकड़ा और चालक हंसराज को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर के मालिक के बारे में पूछताछ करने पर वह खेडलीगढ़ान निवासी खालिद बताया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटैन कर थाना परिसर अटरू में खड़ा करवाया गया। मालिक के नाम मामला दर्ज किया गया।

### जेसीबी से की खुदाई

वन क्षेत्र में चोरी छुपे हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए जेसीबी की सहायता से अदानी पावर प्लांट के समीप सहित विभिन्न वन भूमि के अवैध रास्तों को खुदाई करवा कर बंद करवाया गया।



बारां 02-10-2024

## अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

क्याड़ी वन क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि वन खंड कवाई चंबल फर्टिलाइजर से अवैध रूप से पत्थर बॉर्डर का खनन करते हुए जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाना परिसर अटरू में खड़ा किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़, योगेश, निरंजन बैरवा, बलराम सहरिया, धीरज सहरिया, विजय कुमार आदि मौजूद थे।



बारां 10-07-2024

## अवैध पत्थर ले जाते ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया जब्त



अट्ठरू | वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के पत्थर भरकर ले जाते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भरत राठौर ने बताया कि कवाई नाका के वन खंड कवाई से मंगलवार को अवैध खनन कर पत्थर बोल्डर भरकर ले जात हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक गिराज पुत्र कमल प्रसाद को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली को कवाई की नर्सरी में खड़ा किया गया है। इस कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी भरत राठौर सहित वन रक्षक निरंजन बैरवा, बृजमोहन गुर्जर, कृष्ण गोपाल, जाकिर हुसैन व विजय कुमार आदि शामिल थे।



बारां 23-10-2024

# वन विभाग ने खनन रोकने के लिए रास्तों में खाइयां खुदाई

वन विभाग ने कार्रवाई कर 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए, माफिया लंबे समय से कर रहे थे खनन

भास्करन्यूज़| कवाई

कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में वन भूमि पर हो रहे अवैध पत्थर खनन पर लगाम लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर वन विभाग के कर्मचारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को वन क्षेत्र में जा रहे रास्तों को जेसीबी मशीन से खुदवाकर बंद कर दिया है। विभागीय टीम की ओर से अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा



रही है। सोमवार और मंगलवार को विभागीय कर्मचारियों ने पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि नेशनल हाईवे किनारे स्थित चंबल कवाई

फर्टीलाइजर और अडानी फाटक के समीप वन भूमि पर खनन माफिया चोरी-छिपे अवैध खनन कर रहे थे। अवैध खनन की रोकथाम के लिए मंगलवार को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीम ने रेलवे फाटक के समीप स्थित वन भूमि पर जाने वाले रास्तों पर जेसीबी से खुदाई करवाकर जगह-जगह गहरे गड्ढे करके ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने के रास्ते अवरूद्ध कर दिए। वहीं सोमवार को खनन करते हुए 2 एवं मंगलवार को पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है।

## वन विभाग ने पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की



करवाई | उप वन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने नाका करवाई के वन खंड करवाई से पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि नाका क्षेत्र में पत्थर बोल्टर खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जिन्हें अटरू थाना परिसर में खड़ा किया गया है। कार्रवाई के दौरान बलराम सहस्त्रिया, निरंजन बैरवा, धीरज कुमार, विजय कुमार, बृजमोहन गुर्जर, देवलाल माली आदि मौजूद थे।

## पत्थर का परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



अटरू खन विभाग की टीम ने बुधवार को खन भूमि पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर उसे खाने में छोड़ा कराया है। क्षेत्रीय खन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि अटरू रेंज के नाका अटरू के खन खंड रतनपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर लोडर द्वारा मिट्टी खोदकर भरते समय ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय खन अधिकारी राठौर के अलावा, धीरज कुमार, बलराम सहरिया बृजमोहन गुर्जर शिवानी सहरिया कृष्ण गोपाल, जकिर हुसैन, विजय कुमार आदि शामिल रहे।

## पत्थर से भरी दो ट्रैक्टर ट्रालियां की जलत

**खवाई** ● **पत्रिका**, मोठपुर वन क्षेत्र में शनिवार को अविध खनन एवं परिष्कन विभाग ने क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर बोल्टर पत्थर से भरी दो ट्रैक्टर ट्रालियां की जलत किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि उप वन संरक्षक बारां द्वारा अविध खनन परिष्कन की संकल्पना हेतु फिर गर निर्देश पर अटल रोज के मोठपुर नाका अर्जात अने वाले वनखंड खवाई मोठीपुरा के केरवलिया नरसिंहपुरा से गस्त के दौरान अविध रूप से बोल्टर पत्थर खनन कर परिष्कन करती मोठपुर के दो ट्रैक्टर ट्राली जलत कर मोठपुर वाना परिसर में खड़ा किया। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर, वनसंरक्षक शंकरलाल कुमावत, राधेश साहिया, मन्वेज गुर्जर, शिवानी साहिया आदि साथ रहे।

# जिले में अवैध खनन करते 11 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1000 टन बजरी का स्टॉक जब्त किया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com



परीक्षण करते तथा जिले में बजरी, पत्थर, मिट्टी से भरे चार ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान अज्ञातवादी की प्लांटगत भूमि पर 3 सप्ताहों से 700 टन तथा निम्नगणक भूमि से 300 टन के बजरी स्टॉक भी जब्त किया गया। खोखलीदेव के समीप रोड से 2 ट्रॉली बजरी ट्रैक्टर स्थित जब्त किए गए। 2 ट्रॉली बजरी ट्रैक्टर रायसिंह गुजरा निवासी केलाखेड़ी की है। यहां पुलिस थाना क्षेत्र में मंडोला रोड पर भी मिट्टी से भरी एक थिच नम्बर की ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किया गया।

लकड़ी से भरी दो पिकअप, दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

खोखलीदेव, वन विभाग की टीम ने पुलिस टीम के सहयोग से अवैध खनन के स्थल पर कार्रवाई करती हुई दो ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए जब्त किए। साथ ही दो पिकअप गैली लकड़ी पर्यवेत से भरी पकड़ी। बजरी को रोज परिवार में खड़ा किया गया।



पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

कच्चाई, सोहनपुर पुलिस ने सोमवार को पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। डीएसआरकेएल गैलीखंड ने बताया कि सोमवार को पकड़वाट निवासी परबत नदी के बांधे रास्ते से वाहन भाकर परीक्षण करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वाहनक भीके से खतरा हो गया है।

अवैध रेत से भरी चार ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

अटक, पुलिस, परासन व कन्दोबला की टीम ने विभिन्न ठिकानों से अवैध खनन रेत से भरे हुए चार ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। बांड रोड, गायत्री नगर, रेतले बाण्डक नंबर 54, कैम्पुनिगा से अवैध रेत जब्त की गई है। कार्रवाई में जयवंत अधिकारी रायसिंहवास मौला, जयपुरलिस अधीक्षक जयदीप मेहता व कन्दोबला के अधिकारी साथ में।

बात: अवैध खनन परीक्षकों के खिलाफ घोषणा से शुरू हुए राज्य स्तरीय अभियान के दौरान जिला कलेक्टर ललितेश मिश्र नेभार के निर्देशन से जिले में पंचायत जो रहे अभियान के लक्ष्य समूह टीम ने बजरी, पत्थर व मिट्टी से भरे 11 ट्रैक्टर ट्रॉली व बजरी का स्टॉक जब्त किया।

जिला कलेक्टर ने खनन माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए अवैध खनन परीक्षकों को समूह गत करने पर जोर दिया है। अवैध खनन, निम्न, बंधारण के विरुद्ध प्रभावित कार्रवाई के लिए स्थित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा वन क्षेत्र से रेत का अवैध खनन कर

पुलिस और खनिज विभाग सतर्क, अब शुरू हुई धरपकड़

# अवैध खनन करते जेसीबी व 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े

## पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जख्त

कोयला में अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर जख्त

**कोयला** ● पत्रिका, कामे में चल रहे अवैध खनन पर अंगुला लगाने के लिए प्रभारी सहायक महासुपरिन्टेंडेंट खनिज विभाग कोयला से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉली जख्त की है। पुलिस परिवहन और खनिज विभाग मुख्य मार्ग पर बसनों की जांच करते हैं। यहां संबंधित माफकों की उपस्थिति के साथ खनन मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है।



की सुरक्षा के अंतर्गत पार्वती नदी में अवैध खनन की सूचना मिली थी। खनिज विभाग कोयला से संबंधित जांचकारी जुटाई गई तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी से खनन कर बजरी भरकर कोयला की तरह आ रही थी। इसे पुलिस टीम ने बहाल और खेडी गांव के बीच से डिटेल किया। इस पर ट्रैक्टर चालक फुलबलिया निवासी हेमराज पुत्र भादरलाल कुमावा से पूछताछ करने पर किसी प्रकार के कागज नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर लिया।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com



बारां, प्रवेश सार से अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बरां जिले में भी संबंधित विभागों के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। यहां कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस की ओर से अवैध खनन और परिवहन के मामले पकड़े जा रहे हैं और उनकी सूचना पर खनिज विभाग की ओर से जख्त और जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर रोहितराज सिंह लोहर के निर्देशन में सहायक जे.एम.एस. प्रभुलाल सरोया के नेतृत्व में पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सुकवार रात और खनिज सुकृत कोयला, सार और अटक खान क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त किए हैं।

### कार्रवाई कर खनिज विभाग को सौचा

कोयला प्रभारी रामचिंतन मीरा ने बताया कि खनिज विभाग को सौचा



**कार्रवाई** ● पत्रिका, खनिज विभाग ने खनिज कोयला से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त किया है। खनिज विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि सेंट्रल अटक खान कार्रवाई के अंतर्गत यहां मिथेन गैस के दौरान खनन कर भरी हुए ट्रैक्टर जख्त कर खाना परिसर में खड़ा किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर, योगेश कुमार सहायक वनपाल, शंकरलाल कुमावा वनरक्षक, धीरज सहरिया वनरक्षक, कार्रवाई का प्रभारी गिरधर बेरवा, सुभाष कुमार सहरिया मौजूद रहे।

समसपुर गांव के समीप अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने की सूचना पर वहां टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां मौके पर मिट्टी खुदाई करते मिली एक जेसीबी व खाली मिले दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े गए। खनिज सुकृत कोयला से भरी ट्रॉली पर हाइड्रो फेडरिंग के समीप बजरी परिवहन कर ले जाते दस धक्का टूक को रोका गया। बाद उक्त दोनों बसनों में कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचना दी गई।

### इस जगह से पकड़े गए

खनिज विभाग के कार्रवाईका सुभाषु उपसहाय ने बताया कि जिला कलेक्टर लोहर के निर्देश पर सहायक खनिज अभियंता प्रभुलाल सरोया के नेतृत्व में समसपुर में अवैध खनन करती मिली

जेसीबी व दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया गया। हाइड्रो फेडरिंग के समीप बजरी परिवहन करती ट्रैक्टर को रोका गया था। जांच के बाद उसमें ओवरलोड नहीं मिले। सार खान क्षेत्र में पार्वती नदी से पारि परिवहन कर ले जाते दो ट्रैक्टर ट्रॉली को तथा दो ट्रैक्टर-ट्रॉली कोयला पुलिस चौकी क्षेत्र से जप्त किया गया। अटक क्षेत्र में वंगनी गांव के समीप खान से बजरी खनन कर ले जाते दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया गया।

### इधर ट्रैक्टर ट्रॉली जख्त

**कार्रवाई**, पुलिस ने खनिज कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती नदी से बजरी का अवैध खनन कर परिवहन करती ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त किया है। खान प्रभारी छाजु सिंह ने बताया कि खान



# खाई खोदकर बंद किया अवैध खनन का रास्ता



अटरू | वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर जेसीबी से खाई खुदवाकर रास्ता बंद किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि उपवन संरक्षक अनिल यादव के निर्देश पर वनखंड गोविंदपुरा में पार्वती नदी से रेत व पत्थर के अवैध खनन के लिए खनन माफियाओं

की ओर से बनाए गए रास्तों को जेसीबी की सहायता से खुदवा कर बंद किया गया है। ताकि नदी में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। इस कार्रवाई के दौरान सहायक वनपाल योगेश दत्त, वनरक्षक बलराम सहरिया, धीरज कुमार, बृजमोहन गुर्जर, देवलाल माली, विजय कुमार आदि वनकर्मी शामिल थे।



बारां 02-10-2024

## अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

क्याड़ी वन क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि वन खंड कवाई चंबल फर्टिलाइजर से अवैध रूप से पत्थर बॉर्डर का खनन करते हुए जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाना परिसर अटरू में खड़ा किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़, योगेश, निरंजन बैरवा, बलराम सहरिया, धीरज सहरिया, विजय कुमार आदि मौजूद थे।

## अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई जारी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, खुदाई करवाकर बंद किए रास्ते



कवाई @ पत्रिका. वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को वन खंड के अंतर्गत अवैध खनन करते हुए बोल्टर पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू भारत राठौड़ ने बताया कि कवाई वन क्षेत्र में अवैध खनन होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर उप वन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अटरू भारत राठौड़ के नेतृत्व में नाका कवाई क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस दौरान वन खंड कवाई सेकंड के अदानी पावर प्लांट व रेलवे लाइन के बीच वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन

कर खेडली रेलवे फाटक के पास टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पत्थर ले जाते हुए पकड़ा और चालक हंसराज को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर के मालिक के बारे में पूछताछ करने पर वह खेडलीगढ़ान निवासी खालिद बताया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटैन कर थाना परिसर अटरू में खड़ा करवाया गया। मालिक के नाम मामला दर्ज किया गया।

### जेसीबी से की खुदाई

वन क्षेत्र में चोरी छुपे हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए जेसीबी की सहायता से अदानी पावर प्लांट के समीप सहित विभिन्न वन भूमि के अवैध रास्तों को खुदाई करवा कर बंद करवाया गया।



बारां 02-10-2024

## अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त


क्याड़ी वन क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि वन खंड कवाई चंबल फर्टिलाइजर से अवैध रूप से पत्थर बॉर्डर का खनन करते हुए जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाना परिसर अटरू में खड़ा किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़, योगेश, निरंजन बैरवा, बलराम सहरिया, धीरज सहरिया, विजय कुमार आदि मौजूद थे।

अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया

बारा | Published on 25, 2024 08:23:15 pm

Submitted by: mukesh gour

वन विभाग के साथ अन्य विभागों ने की किशनगंज और केलवाड़ा में कार्रवाई



अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, 220 टन बजरी का ढेर उठाया, 90 ट्रॉली अवैध पत्थर जब्त किया

किशनगंज रेंज क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अवैध खनन, अवैध बजरी भंडारण पर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को रामगढ़ नाका क्षेत्र के केलवाड़ीजी महाराज मंदिर के पास वन विभाग ने 220 टन बजरी का ढेर जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि यहां पर अवैध बजरी का स्टॉक होने की सूचना मिली थी। नायब तहसीलदार बाबूलाल गोचर ने निर्देशन में 220 टन, लगभग 40 ट्रॉली बजरी जब्त की गई। वन विभाग ने बजरी का उठाव करवाकर वन विभाग के अधीन किया। इस दौरान किशनगंज सहायक वनपाल पवन सहरिया, विनोद कुमार, किशनगंज थाना अधिकारी प्रेम बिहारी नागर मय जाप्ता मौजूद रहा।

इधर, केलवाड़ा रेंज क्षेत्र में हेमन्त कुमार गीतम सीओ शाहाबाद ने पेनावदा, हथवारी रोड व ग्राम पहाड़ी के माळ में अवैध रूप से 90 ट्रॉली पत्थरों के ढेर को जब्त किया। इस मौके पर तहसीलदार शाहाबाद के साथ वन विभाग केलवाड़ा व पुलिस थाना केलवाड़ा की टीम मौजूद रही।


**पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त**

कवाई में अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि वनखंड में पत्थर बोल्डर का अवैध खनन कर सिंधनी गांव के समीप बोल्डर से भरी ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर मोठपुर में खड़ा किया गया। ट्रैक्टर चालक दिलीप को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर, नाका प्रभारी निरंजन बेरवा, योगेश कुमार, शंकर कुमावत धर्मचंद, धीरज कुमार, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

ट्रेडिंग वीडियो

## वन नाका रामगढ़ के दुगेर से 220 टन बजरी जब्त

किशनगंज | रेंज कार्यालय किशनगंज के अधीन वन नाका रामगढ़ क्षेत्र से दुगेर में केलपुरी महाराज धार्मिक स्थल के पास से 220 टन बजरी जब्त कर रेंज कार्यालय में रखवाया गया है।



किशनगंज. जब्त बजरी को डंपर में जेसीबी भरते हुए।

रेंजर हरिराम चौधरी ने बताया कि वन विभाग, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने वन नाका रामगढ़ क्षेत्र के दुगेर के केलपुरी महाराज मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए 220 तन बजरी जब्त की। इस दौरान नायब तहसीलदार बाबूलाल गोचर, थानाधिकारी प्रेमबिहारी नागर व रेंजर हरिराम चौधरी मौजूद थे। जब्त की गई 220 टन बजरी को रेंज कार्यालय में खाली करवाया गया है। इस दौरान सहायक वनपाल पवन सहरिया, सहायक वनपाल नाका किशनगंज दीनदयाल सहरिया, सहायक वनपाल भंवरगढ़ राधेश्याम सहरिया, नाका प्रभारी रामगढ़ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

## केलवाड़ा में जब्त किए 90 ट्रॉली पत्थर

केलवाड़ा | वन, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई संयुक्त कार्रवाई में तीन अलग-अलग स्थान से 90 ट्रॉली पत्थर जब्त किए गए। रेंजर तरुण रावत तथा थानाधिकारी मानसिंह मीणा ने बताया कि तहसीलदार शिवनारायण रावत की अगुवाई में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की नीयत से तीन अलग-अलग स्थानों पर डाले गए 90 ट्रॉली से अधिक पत्थरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। पेनावदा रोड पर अवैध अतिक्रमण की नीयत से डाले गए 60 ट्रॉली पत्थर जब्त किए, नेशनल हाईवे-27 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने पहाड़ी गांव में 10 से 15 ट्रॉली एवं हथवारी रोड पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की नीयत से डाले गए 10 से 15 ट्रॉली पत्थर जब्त किए।

प्रशासन और खनिज विभाग किशनगंज और जलवाड़ा में कार्रवाई

# 470 टन बजरी का ढेर जब्त



पत्रिका  
लाइव  
रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com



किशनगंज

किशनगंज/ जलवाड़ा. जिले के किशनगंज और जलवाड़ा में अवैध खनन पर चल रही कार्रवाई के दौरान गुरुवार को 470 टन बजरी का ढेर जब्त किया गया। किशनगंज रेंज क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अवैध खनन, अवैध बजरी भंडारण पर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को रामगढ़ नाका क्षेत्र के केलपुरीजी महाराज मंदिर के पास वन विभाग ने 220 टन बजरी का ढेर जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि यहां पर अवैध बजरी का स्टॉक होने की सूचना मिली थी। नायब तहसीलदार बाबूलाल गोचर ने निर्देशन में 220 टन, लगभग 40 ट्रॉली बजरी जब्त की गई। वन विभाग ने बजरी का उठाव करवाकर वन विभाग के अधीन किया।

जलवाड़ा कस्बे में प्रशासन व

## 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

बारां. संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी को जब्त किया। जिले में कवाई, पहाड़ी, केलवाड़ा, पैनावदा, जलवाड़ा व दुगौर इत्यादि पर हुई कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज बजरी, मैसनरी स्टोन, साधारण मिट्टी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण में लिप्त पाए जाने पर इन्हें जब्त किया गया।

खनिज विभाग ने गुरुवार को कार्रवाई कर 250 टन बजरी जब्त की है। सहायक अभियंता पीएल सरोया, कार्यदेशक सुधांशु उपाध्याय, तहसीलदार अभयराज सिंह, थाना प्रभारी देवकरण चौधरी टीम में शामिल रहे। टीम ने 10 टन अवैध बजरी को जब्त किया। इसके बाद 250 टन बजरी जब्त की गई। अवैध बजरी पर एक लाख 32 हजार का जुर्माना लगाया है।

कवाई. अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि वनखंड में पत्थर बोल्टर का अवैध खनन कर सिधनी गांव के समीप बोल्टर से भरी ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर मोठपुर में खड़ा किया गया। ट्रैक्टर चालक दिलीप को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा

गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर, नाका प्रभारी निरंजन वेरवा, योगेश कुमार, संकर कुमावत धर्मचंद, धीरज कुमार, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

केलवाड़ा. रेंज क्षेत्र में हेमन्त कुमार गौतम सीओ शाहाबाद ने पैनावदा, हथवारी रोड व ग्राम पहाड़ी के माळ में अवैध रूप से 90 ट्रॉली पत्थरों के ढेर को जब्त किया। इस मौके पर तहसीलदार शाहाबाद के साथ वन विभाग केलवाड़ा व पुलिस थाना केलवाड़ा की टीम मौजूद रही। वनखंड सीताबाड़ी के मौजा सालेरी में ग्रस्त के दौरान नदी से अवैध खनन कर पत्थर बोल्टर भरकर ले जाते चालक दयाल को गिरफ्तार किया गया।

26/01/2024 | Baran | Page : 4

Source : <https://epaper.patrika.com/>

## **Annexure – 9**

Details of seizures made and legal actions taken during  
joint operation

(संयुक्त अभियान के दौरान की गई जप्ती और कानूनी  
कार्रवाई का विवरण।)

# संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक: .....01.2024

जिला: \_\_\_\_\_

जिले में खान विभाग के कार्यालयों का नाम: \_\_\_\_\_

क्र. स.	जिले का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	दर्ज एफ. आई.आर. की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन/ मशीनरी		वसूल की गई राशि (लाखों में)	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
						एस्केवेटर/ज. सी.बी./क्रेन	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

## नोट :-

1. जिला मुख्यालय पर पदस्थापित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता जिले की समस्त सूचना संकलित कर, रिपोर्ट में अंकित करेंगे।
2. संयुक्त अभियान के दौरान की गई कार्यवाही की समाचार पत्रों में प्रकाशित न्यूज की कटिंग प्रगति रिपोर्ट के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

क्रमांक 262

दि० 15.01.24

जिला बारां

वन विभाग

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 16.1.24

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज एफ आई आर संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	मण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे.सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	5	-	1	6	5	2	30	-	5	-	-	-	-
कुल		5	-	1	6	5	2	30	-	5	-	-	-	-

उप वन संरक्षक  
बारां



## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

क्रमांक 378

दि० 16.01.24

जिला बारां

वन विभाग

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 16.1.24

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज एफ आई आर संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवटर / जे.सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 उप वन संरक्षक  
 बारां



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दि 17.01.24

जिला बारां

वन विभाग

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	2	0	1	3	2	0	30 टन पत्थर 1 टन मिट्टी	0	2	0	0	0	0
कुल		2	0	1	3	2	0	31	0	2	0	0	0	0

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बारां  
संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दि० 18.01.24  
जिला बारां  
वन विभाग

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.11	0	0
कुल		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.11	0	0

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बारां  
संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दि० 19.01.2024

जिला बारां

वन विभाग

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	1	0	1	2	1	1	305 टन पत्थर	0	1	0	0	0	0

नोट - 1 खनन प्रकरण नाका देवरी 1 ट्रैक्टर जब्त 5 टन पत्थर जब्त  
1 भण्डारण प्रकरण नाका कस्बाथना 300 टन पत्थर जब्त

  
उप वन संरक्षक  
बारां

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 20.01.2024

जिला बारां

वन विभाग

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जप्त खनिज की मात्रा (टनो में)	जप्त वाहन		कूल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखो में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे०सि०बि० / क्रेन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	1	0	0	1	1	1	2.5		1	0	0	0	0

नोट :- 1 खनन प्रकरण नाका किशनपुरा 1 ट्रैक्टर मय ट्रैली जप्त, 2.5 टन बोल्टर पत्थर जप्त

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बारां  
संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 22.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	2	0	0	2	2	1	3	0	2	0	0	0	0

नोट :- 1 खनन प्रकरण, नाका अटरू, 1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त, 1 टन मिट्टी  
1 खनन प्रकरण, नाका रामगढ, 1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त, 2 टन रेत

उप वन संरक्षक  
बारां

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 23.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0.03	0	0

नोट :- 1 खनन प्रकरण, नाका राजपुर, 5 टन पत्थर जब्त

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 24.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 25/01/2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	1	0	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0

नोट --: 1 खनन प्रकरण, नाका कवाई, 4 टन पत्थर जब्त , 1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त

  
उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 26.01.2024

क0स0	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	1	0	0	1	1	1	5	0	1	0	0	0	0

नोट :- 1 खनन प्रकरण, नाका केलवाडा, 5 टन पत्थर जब्त , 1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 27.01.2024

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रकरणों का संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों का संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर की नयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एक्केक्टर/जे.अन्य	सी.बी./केन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बारां	3	0	0	3	3	3	11.5	0	3	0	0	0	0

नोट- 3 खनन प्रकरण, नाका केलवाड़ा, नाका मुण्डियर, नाका छवड़ा, 11.5 पत्थर जब्त, 3 ट्रेक्टर ट्राली जब्त

  
उप वन संरक्षक  
बारां

केलवाड़ा 5 ल

छवड़ा 1.5 ल

मुण्डियर 5 ल

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बांरा  
सयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक :- 28.01.2024

क्र.स.	जिले का नाम	ईज	प्रकरणों की संख्या				दर्ज एफ आइ आर संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जप्त खनन की मात्रा (टनो में)	जप्त वाहन मशीनरी		कुल मांग की राशि	वसूल की गई राशि(लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर की गयी कार्यावाही
			खनन	निगमन	भण्डारण	कुल				एस्कैक्टर / जे.सी. बी. / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बांरा		1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0

नोट- 1 खनन प्रकरण , नाका सारथल, 1 टन पत्थर जप्त ,1 टेक्टर टोली जप्त

  
उप वन संरक्षक  
बांरा

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 29.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	3	0	0	3	3	3	4	0	3	0	0	0	0

नोट :- 1 खनन प्रकरण, नाका अटरू 4 टन पत्थर जब्त , 1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त  
1 खनन प्रकरण, नाका छबड़ा ,1 ट्रैक्टर ट्रौली जब्त  
1 खनन प्रकरण, नाका दिलोद ,1 ट्रौली जब्त

उप वन संरक्षक  
बारां

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 24.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उप वन संरक्षक  
बारां



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

संयुक्त अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

दिनांक 31.01.2024

क्र०स०	जिले का नाम	प्रकरणो की संख्या				दर्ज FIR संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त खनिज की मात्रा (टनों में)	जब्त वाहन मशीननरी		कुल मांग राशि	वसूल की गयी राशि (लाखों में)	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर	खबर पर की गयी कार्यवाही
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल				एस्केवेटर / जे. सी.बी / केन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बारां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उप वन संरक्षक  
बारां

## **Annexure 10**

Details of surveillance areas and sensitive locations.

(निगरानी क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों का विवरण।)

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244d

क्रमांक -एफ ( )/तक/उ व सं./2023-24 2539


दिनांक 11.03.24

❖ अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही:-

इस वन मण्डल अधीन अवैध खनन को रोकने हेतु कार्यालय स्तर पर गश्ती दल गठित किया हुआ है जिसमें सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाती हैं तथा रेंज स्तर पर भी गश्ती दल गठित किया हुआ है इसके अतिरिक्त डिविजन कार्यालय में भी 24X7 कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिस पर सूचना मिलने पर संबंधित रेंज अधिकारी को सूचित कर तत्काल कार्यवाही की जाती है। तथा वर्ष 2023-24 में अवैध खनन के 111 प्रकरण दर्ज किये गये व 108 प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर 1900200/- मुआवजा वसूल किया गया।

अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्र निम्नानुसार है-

क्रम सं.	रेंज	नाका	संवेदनशील क्षेत्र
	छीपाबड़ौद	सारथल	कलमोदिया
		बिलेण्डी	मिसरोली
	छबड़ा	जैपला	उचावद
		छबड़ा	गुगोर
		दीलोद	दीलोद नदी का क्षेत्र
	किशनगंज	किशनगंज	मिसाई रोड
		भंवरगढ़	घडावली नदी का क्षेत्र
	नाहरगढ़	जलवाडा	खेरका, सुखार नदी का क्षेत्र
	अटरु	मोठपुर	ग्राम कुण्डी मोठपुर, कासमपुरा, बरावदी

  
उप वन संरक्षक,  
बारां



## **Annexure – 11**

List of special teams constituted for periodic patrolling and surveillance.

(समय-समय पर गश्त और निगरानी के लिए गठित विशेष टीमों की सूची।)

# !! कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां !!

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/विविध/उ.व.सं./2023-24/ 5245

दिनांक :- 17/4/23

## -:: कार्यालय-आदेश ::-

वन मण्डल अधीन वनक्षेत्र में अवैध खनन, अतिक्रमण गैर-वानिकी कार्यों की रोकथाम एवं वन्यजीव रेस्क्यू हेतु मण्डल स्तर पर दिनांक 10.04.2023 से अग्रिम आदेश तक गश्तीदल का गठन किया जाता है। गश्तीदल का नियन्त्रण सहायक वन संरक्षक बारां के अधीन रहेगा तथा गश्तीदल का मुख्यालय बारां रहेगा। गश्त हेतु (केंटर) वाहन संख्या RJ 28 GA 2914 का उपयोग करेंगे।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापन रेन्ज	वि.वि.
1	श्री रामनारायण कोली	सहायक वनपाल	शाहाबाद	प्रमारी
2	श्री राजू मीणा	वनरक्षक	छबड़ा	-
3	श्री दौलत सहरिया	वनरक्षक	केलवाड़ा	-
4	श्री रमेश चन्द्र कहार	केटलगार्ड	अन्ता	-
5	श्री कालू मेघवाल	केटलगार्ड	छीपाबडौद	-
6	श्री हिम्मत सिंह	केटलगार्ड	किशनगंज	-
7	श्री बृजमोहन सिंह	केटलगार्ड	अटरू	-

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

बारां

दिनांक :- 18/4/23

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/विविध/उ.व.सं./2023-24/ 5246-55

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सहायक वन संरक्षक, बारां/छीपाबडौद।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगंज, शाहाबाद, अन्ता, छबड़ा, छीपाबडौद, केलवाड़ा, एवं अटरू को दी जाकर लेख है, कि उक्त कर्मचारियों के जिम्मे का चार्ज अपने स्तर से अन्य कर्मचारी को दिलाकर गश्तीदल बारां में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करें।
- सहायक वन संरक्षक, बारां को दी जाकर लेख है, कि कोई भी कर्मचारी आपकी एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर रवाना होंगे।
- गश्तीदल प्रमारी को प्रेषित कर लेख है कि आप जिस भी रेन्ज में गश्त हेतु जाये उस क्षेत्रीय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर गश्त करें तथा उपस्थिति सम्बन्धित क्षेत्रीय से प्रमाणित करवाकर सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट भी सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

Signature valid

Digitally signed by Deepak Kumar Gupta  
Designation : Deputy Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.04.18 18:41 IST

# !! कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां !!

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उ.व.सं./2023-24/ 8160

दिनांक :- 8/8/23

## -:: कार्यालय-आदेश ::-

वन मण्डल अधीन वनक्षेत्र में अवैध खनन, अतिक्रमण गैर-वानिकी कार्यों की रोकथाम एवं वन्यजीव रेस्क्यू हेतु मण्डल स्तर पर दिनांक 10.08.2023 से अग्रिम आदेश तक गश्तीदल का गठन किया जाता है। गश्तीदल का नियन्त्रण सहायक वन संरक्षक बारां के अधीन रहेगा तथा गश्तीदल का मुख्यालय बारां रहेगा। गश्त हेतु (केन्टर) वाहन संख्या RJ 28 GA 2914 का उपयोग करेंगे।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापन रेन्ज	वि.वि.
1	श्री रामनारायण कोली	सहायक वनपाल	शाहाबाद	प्रभारी
2	श्री जस्सी सिंह	वनरक्षक	केलवाडा	-
3	श्री बनवारी लाल सहरिया	वनरक्षक	किशनगंज	-
4	श्री भरत लाल मीणा	वनरक्षक	वन मण्डल बारां	-
5	श्री देवलाल माली	केटलगार्ड	अटरू	-

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

बारां

दिनांक :- 8/8/23

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/विविध/उ.व.सं./2023-24/ 8161-68

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सहायक वन संरक्षक, बारां/छीपाबड़ौद।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहाबाद, केलवाडा, किशनगंज, अटरू एवं वन मण्डल बारां को दी जाकर लेख है, कि उक्त कर्मचारियों के जिम्में का चार्ज अपने स्तर से अन्य कर्मचारी को दिलाकर गश्तीदल बारां में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करें।
3. सहायक वन संरक्षक, बारां को दी जाकर लेख है, कि कोई भी कर्मचारी आपकी एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर रवाना होंगे।
4. गश्तीदल प्रभारी को प्रेषित कर लेख हैं कि आप जिस भी रेन्ज में गश्त हेतु जाये उस क्षेत्रीय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर गश्त करें तथा उपस्थिति सम्बन्धित क्षेत्रीय से प्रमाणित करवाकर सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट भी सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

# !! कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां !!

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उ.व.सं./2023-24/ 35

दिनांक :- 1/1/24

## -:: कार्यालय-आदेश ::-

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8161-68 दिनांक 08.08.2023 द्वारा वन मण्डल अधीन वनक्षेत्र में अवैध खनन, अतिक्रमण गैर-वानिकी कार्यों की रोकथाम एवं वन्यजीव रेस्क्यू हेतु मण्डल स्तर पर दिनांक 10.08.2023 से अग्रिम आदेश तक गश्तीदल का गठन किया गया था जिसमें संशोधन कर निम्न कर्मचारियों को लगाया जाता है। गश्तीदल का नियन्त्रण सहायक वन संरक्षक बारां के अधीन रहेगा तथा गश्तीदल का मुख्यालय बारां रहेगा। गश्त हेतु (केन्टर) वाहन संख्या RJ 28 GA 2914 का उपयोग करेंगे।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापन रेन्ज	वि.वि.
1	श्री अब्दुल रजाक	सहायक वनपाल	अन्ता	प्रभारी
2	श्री जस्सी	वनरक्षक	केलवाडा	-
3	श्री सुनिल मीणा	वनरक्षक	बारां	-
4	श्री नारायण सहरिया	वनरक्षक	शाहाबाद	-
5	श्री विक्की मेधवाल	वनरक्षक	किशनगंज	-
6	श्री हंसराज सहरिया	वनरक्षक	वन मण्डल बारां	-

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक,  
बारां

दिनांक :- 1/1/24

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/विविध/उ.व.सं./2023-24/ 36-45

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सहायक वन संरक्षक, बारां/छीपाबड़ौद।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता, केलवाडा, बारां, शाहाबाद, किशनगंज एवं वन मण्डल बारां को दी जाकर लेख है, कि उक्त कर्मचारियों के जिम्मे का चार्ज अपने स्तर से अन्य कर्मचारी को दिलाकर गश्तीदल बारां में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करें।
3. सहायक वन संरक्षक, बारां को दी जाकर लेख है, कि कोई भी कर्मचारी आपकी एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर रवाना होंगे।
4. गश्तीदल प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि आप जिस भी रेन्ज में गश्त हेतु जाये उस क्षेत्रीय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर गश्त करें तथा उपस्थिति सम्बन्धित क्षेत्रीय से प्रमाणित करवाकर सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट भी सहायक वन संरक्षक, बारां के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक,  
बारां

# !! कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां !!

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उ.व.सं./2024-25/6451

दिनांक :- 26/6/24

-::कार्यालय-आदेश:-

वर्षा ऋतु में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण, हँकाई की रोकथाम एवं वन सुरक्षा के मध्यनजर संलग्न सूची में अंकित कर्मचारियों को 15 दिवस हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जा कर मुख्यालय किशनगंज नाके के पास तेजाजी का डोंडा स्थल पर किया जाता है यह अपनी व्यवस्था टैन्ट लगाकर करेगे। एक मैस ईचार्ज व पानी के टैंकर की व्यवस्था हेतु दो कर्मचारियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज अधिकृत करेगे। मौके पर 24 घण्टे 4 जे.सी.बी व 5 टेक्टर मौजूद रहेगे इस सब की व्यवस्था क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज करेगे इनका नियंत्रण सहायक वन संरक्षक बारां (प्रशिक्षु) के अधीन रहेगा।

वन मण्डल अधीन गठित गश्तीदल प्रभारी समस्त कर्मचारियों के साथ एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वन बन्दोबस्त व वन सुरक्षा भी मुख्यालय पर उपस्थित रहेगे। जिस रेंज से अतिक्रमण/हँकाई एवं वन अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल खाना हो कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे। यह आदेश दिनांक 27.06.24 से प्रभावित होगा।

  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,  
बारां

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उ.व.सं./2024-25/6452-66

दिनांक :- 26/6/24

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सहायक वन संरक्षक, बारां (प्रशिक्षु) को दी जाकर लेख है, कि कोई भी कर्मचारी आपकी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो अवकाश स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर खाना होगें।
2. सहायक वन संरक्षक, बारां/छीपाबड़ोद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, समस्त को दी जाकर लेख है, कि संलग्न सूची के अंकित कर्मचारियों के जिम्मे का चार्ज अपने स्तर से अन्य कर्मचारी को दिलाकर रेंज किशनगंज में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करें।
4. बिल/रक्षित।


  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,  
बारां

# -: वन मण्डल बारां गश्तीदल सूची :-

स्थान तेजाजी का डांडा स्थानांज नोके के पास

क्र.स	कर्मचारी का नाम	पद	रेंज	वि.वि
1	श्री प्रवीण शर्मा	वनरक्षक	छीपा	-
2	श्री लोकेश सहरिया	वनरक्षक	छीपा	-
3	श्री गिराज प्रसाद शर्मा	वनरक्षक	किश	-
4	श्री विक्रम सिंह चौहान	वनरक्षक	किश	-
5	श्री सुरेश गोदारा	वनरक्षक	किश	-
6	श्री रामप्रसाद मीणा	वनरक्षक	किश	-
7	श्री सुरेन्द्र यादव	वनरक्षक	किश	-
8	श्री बनवारी सहरिया	वनरक्षक	किश	-
9	श्री राजेन्द्र यादव	वनरक्षक	अन्ता	-
10	श्री हरसाय मीणा	वनरक्षक	अन्ता	-
11	श्री जितेन्द्र सिंह	वनरक्षक	नाह	-
12	श्री राकेश	वनरक्षक	नाह	-
13	श्री राम लाल मीणा	वनरक्षक	नाह	-
14	श्री विनोद मेहरा	वनरक्षक	नाह	-
15	श्री कल्लू सिंह	वनरक्षक	नाह	-
16	श्री विनोद प्रजापत	वनरक्षक	नाह	-
17	श्री जस्सी सिंह	वनरक्षक	केल	-
18	श्री दोलत सहरिया	वनरक्षक	केल	-
19	श्री बलराम मीना	वनरक्षक	केल	-
20	श्री मुकेश मुलोदिया	वनरक्षक	केल	-
21	श्री अरविन्द चौधरी	वनरक्षक	छबडा	-
22	श्री सोमेश गुर्जर	वनरक्षक	छबडा	-
23	श्री ललित कुमार सहरिया	वनरक्षक	छबडा	-
24	श्री सन्नी देओल सहरिया	वनरक्षक	छबडा	-
25	श्री भूपेश सहरिया	वनरक्षक	छबडा	-
26	श्री प्रदीप सिंह राठौड	वनरक्षक	छबडा	-
27	श्री देवेन्द्र कुमार सहरिया	वनरक्षक	छबडा	-
28	श्री प्रहलाद सहरिया	वनरक्षक	छबडा	-
29	श्री भरतलाल मीणा	वनरक्षक	छबडा	-
30	दशरथ सिंह	वनरक्षक	शाहा	-

  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,  
बारां

## **Annexure – 12**


Last 3 years Report Related on Illegal Mining

(पिछल 3 वर्षों की अवध खनन स संबंधित रिपोर्ट)

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

अवैध खनन की सूचना रेंज की वार्षिक सूचना अनुसार

क. सं.	वन अपराध	वर्ष	दर्ज प्रकरण		फैसल प्रकरण		मुआवजा
			विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1	अवैध खनन	2021-22	178	0	162	0	2469100
2	अवैध खनन	2022-23	141	0	143	1	2045000
3	अवैध खनन	2023-24	118	0	125	0	2269900
4	अवैध खनन	2024-25	128	0	134	0	2434000

  
उप वन संरक्षक,  
बारां



## **Annexure – 13**

Minutes of the Monthly Special Investigation Team (SIT)  
meetings on mining activity prevention. (*Latest*)

(खनन गतिविधियों की रोकथाम के लिए गठित मासिक  
विशेष जांच दल (SIT) की बैठकों का कार्यवृत्त (नवीनतम)।)

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/81

दिनांक :- 13/01/2025

**-बैठक कार्यवाही विवरण:-**

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2025 को 11.00 बजे अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम व खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान सहायक उपवन संरक्षक, बारां
2. श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां
3. परिवहन निरीक्षक अधिकारी, बारां
4. सहायक खनि अभियन्ता, बारां

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विभागों से सूचना चाही गई। जिसका विभागवार विवरण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कि निम्नानुसार है।

1. सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफआईआर की सं०
		खनन	निर्गमन	भण्डारण			
1	2023-24	11	175	18	204	128.86	7
2	2024-25 (दिनांक 13.01.2025) तक	18	247	18	283	334.99	11

बैठक में सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा निम्न बिंदुओं पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष चर्चा के बिंदु:-

- सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा यह बताया गया कि बारां जिले के अटरू तहसील में बहने वाली परवन नदी में खनिज वजरी 4 प्लॉट डेलिनियेशन कर तैयार किये गये थे, जिसमें से प्लॉट संख्या 2 व 4 में वन विभाग से वन रहित पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है एवं संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा इन दोनों प्लॉटों में अग्रिम ई-नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्लॉट न0 1 व 3 के संबंध में मगरमच्छ, कछुएँ, नीलगाय, कालाहिरण, सियार आदि वन्य जीव की बहुतायत होने के कारण वन विभाग से वन रहित पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जिस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक खनि अभियन्ता, बारां को उक्त खनिज वजरी प्लॉट न0 2 व 4 में अग्रिम ई-नीलामी की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने एवं शेष प्लॉट न0 1 व 3 के संबंध में सहायक उपवन संरक्षक बारां को उक्त क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

- सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा यह बताया गया कि बारां जिले के ग्राम खान की झोपड़िया तहसील अन्ता में 6 प्लॉट खनिज मैसनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन की वन रहित पुष्टि के प्रमाण पत्र हेतु पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 25.06.2024 से श्रीमान उप वन संरक्षक बारां को पत्र लिखा गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्लॉटों में वन भूमि 55 मीटर दूर है। इस संबंध में उपवन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक के अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना है, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक उपवन संरक्षक बारां व सहायक खनि अभियन्ता, बारां को यह निर्देश दिए कि दोनो विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही इसी सप्ताह में संपादित करे।

3

परिवहन विभाग- सहायक खनि अभियंता बारां ने बताया कि अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहन विशेष तौर पर ट्रैक्टर ट्रौली द्वारा चोरी-छुपे अवैध खनन कर खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग द्वारा अपने स्तर पर भी कार्यवाही की जा सकती है, जिस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित परिवहन निरीक्षक, बारां को यह निर्देश दिए कि आपका चैकिंग उडन दस्ता अधिकतम समय राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य रास्तों पर चैकिंग हेतु नियोजित रहता है। अतः परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के व्यवसायिक पंजीयन नहीं कराकर खनिजों का अवैध निर्गमन किया जाता है। इस हेतु परिवहन अधिकारी विना व्यवसायिक पंजीयन के खनिज निर्गमन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही करें।

अन्य निर्देश:- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017, के नियम 54(4) में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार को भी शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। उक्त नियमों के तहत अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार नियमों के अन्तर्गत पूर्ण कार्यवाही की जाएं। वन भूमि में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की कार्यवाही के लिये वन विभाग जिम्मेदार रहेगा, इसी प्रकार खातेदारी भूमि में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के लिये राजस्व विभाग जिम्मेदार रहेगा।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को निम्न निर्देश जारी किये गये।

1. अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से टोस कार्यवाही करें।
2. वन क्षेत्रों में अवैध खननकर्ता के विरुद्ध वन विभाग कार्यवाही करें।
3. वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से संयुक्त कार्यवाही की जावे, बड़े एवं संगठित रूप से अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध रणनीति बनाकर टोस कार्यवाही करें।
4. राजस्व विभाग, वन विभाग, खान विभाग द्वारा जिले में अवैधखनन स्थलों को चिन्हित कर मय खसरा न0 व कोर्डिनेट सहित उपलब्ध करावें।
5. परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग को अवैध खनिज निर्गमन के दौरान पकड़े/जब्त वाहनों के संबंध में वाहन ओवरलोड होने की स्थिति में ओवरलोड की पेनाल्टी वसूली किये जाने के संबंध में आपसी समन्वय स्थापित किये जाने के निर्देश दिये।
6. बारां जिले में बजरी के स्वीकृत खननपट्टा संख्या 1/2013 में पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त नहीं होने से खनन कार्य बन्द है इस खननपट्टे क्षेत्र में एसआईटी द्वारा जांच कर यदि किसी प्रकार का अवैध खनन/निर्गमन होता पाया जाये जो उस पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये।
7. एसआईटी की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जावे।

(3/13.01.25)

(भैवरलाल लबाना)  
सहायक खनि अभियंता,  
बारां (राज.)

दिनांक :- 13/01/25

कमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/82-91  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान उपवन संरक्षक, बारां
2. निजी सहायक जिला कलक्टर, बारां/अति0 जिला कलक्टर, बारां
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा वृत्त कोटा
4. निजी सहायक पुलिस अधीक्षक, बारां
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बारां/अन्ता/मांगरोल/छबड़ा/छीपाबडौद/किशनगंज/शाहबाद/अटरू
6. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
7. श्रीमान अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबड़ा
8. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग झालावाड़
9. श्रीमान वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कोटा
10. रक्षित पत्रावली

(3/13.01.25)

सहायक खनि अभियंता,  
बारां (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बारां  
101, 102, मिनी राचिवालय नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, बारां (राज.)

कमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2025/363

दिनांक :- 11/2/2025

:-बैठक कार्यवाही विवरण:-

अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को दोपहर 2.00 पी.एम. पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यालय जिला कलक्टर बारां के सागागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा वीसी के माध्यम से भाग लिया :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
3. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट बारां
4. श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां
5. सहायक वन संरक्षक, बारां
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला बारां
7. समस्त तहसीलदार जिला बारां
8. समस्त उप पुलिस अधीक्षक जिला बारां

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के संबंध में जानकारी दी गई।

श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय बारां द्वारा बारां जिले के प्रोन क्षेत्रों की जानकारी देते हुए एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करने एवं उपखण्डवार चर्चा कर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध ठोस कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन पाये जाने पर वन विभाग कार्यवाही करें तथा गैर वन क्षेत्र में खान विभाग एवं संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खातेदारी भूमि में अवैध खनन पाये जाने पर राजस्व विभाग को टिन्नेसी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही पूर्व के लम्बित प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध की गई कार्यवाही में लिफ्ट वाहनों के संबंध में ओवरलोडिंग गैर वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी कार्यवाही करें तथा एसआईटी टीम द्वारा अवैध खनन/निर्गमन में लिफ्ट वाहनों की सूचना जिला परिवहन अधिकारी को भेजी जावे। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन में लिफ्ट बिना नंबर के वाहनों पर कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी बारां को निर्देशित किया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.02.2025 के अनुसार स्थानीय पुलिस गिरन्तर गश्त (पेट्रोलिंग) की जावे। साथ ही खनन एवं रॉयल्टी क्षेत्रों की निगरानी रखी जावे।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर एसआईटी टीम संयुक्त रूप से निवेदन कार्यवाही करें।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही में एसआईटी टीम को आपस में समन्वय स्थापित कर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा वन विभाग को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

Signature valid

Digitally signed by श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, Bhabha Lal Babana, Date: 2025.02.11 22:05:05 IST

Reason: Approved

धीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

धीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के संबंध में प्रतिदिन की गयी कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को निर्देशित किया गया।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग जयपुर का पत्र क्रमांक प.( ) खान/ग्रुप-2 दिनांक 03.05.2024 एवं संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग जयपुर का पत्र क्रमांक प.9(11)गृह-5/2024 दिनांक 06.02.2025 की पालना में जिले में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में दिनांक 12.02.2025 से दिनांक 22.02.2025 तक अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया जिसमें खान विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) में निम्न सदस्य हैं, जो संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

1. संबंधित क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी।
2. संबंधित क्षेत्र का उप पुलिस अधीक्षक।
3. परिवहन विभाग का संबंधित अधिकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक।
4. वन विभाग से रेंजर स्तर का अधिकारी।
5. सहायक खनि, अनियंता अथवा क्षेत्र से संबंधित तकनीकी स्टाफ।

अन्त में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के संबंध में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) टीम को संयुक्त रूप से प्लानिंग बनाकर निर्नोक हाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही बारां जिले में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोकथाम की जावे तथा प्रतिदिन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अभियान की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सहायक खनि अनियंता बारां प्रेषित करेंगे तथा वन विभाग के अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट पृथक से सहायक खनि अनियंता बारां प्रेषित करेंगे। तदुपरान्त प्रतिदिन सहायक खनि अनियंता, बारां सम्पूर्ण रिपोर्ट संकलित कर अध्याक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

(मेंबरलाल लबाना)  
सहायक खनि अनियंता,  
बारां (राज.)

दिनांक :- 11 / 2 / 2025

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2025/364-378

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक बारां।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक, बारां।
3. उपखण्ड अधिकारी बारां/अटारु/अन्ता/मांगरोल/छबडा/छीपाबड़ौद/किरानगंज/शाहबाद
4. जिला परिवहन अधिकारी, बारां।
5. समस्त उप पुलिस अधीक्षक जिला बारां।
6. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बारां को भेजकर लेख है कि प्रतिदिन की कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।
7. निजी सचिव, श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक खनि अनियंता,  
Signature valid

Digitally signed by Bhanu Lal Labana  
Designation : Assistant Mining Engineer  
Date: 2025.05.11 12:05:05 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बारां

क्रमांक-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/1411

दिनांक :- 23-5-24

:- बैठक कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2024 को 01.00 पी.एम. पर अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम, खनन गतिविधियों की निगरानी समिति की बैठक व एस.आई.टी. हेतु जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बारां
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक बारां
3. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां
4. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
5. सहायक खनि अभियंता, बारां
6. सहायक उपवन संरक्षक बारां

सहायक खनि अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक प. विभाग द्वारा तथा खातेदारी भूमि में संबंधित तहसीलदार/हल्का पटवारी को कार्यवाही करने तथा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग/रिको इत्यादि द्वारा कार्यवाही की जानी है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विभागों से सूचना चाही गई। जिसका विभागवार विवरण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कि निम्नानुसार है।

1. सहायक खनि अभियंता, बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफआईआर की सं०
		खनन	निर्गमन	भण्डारण			
1	2023-24	11	175	18	204	128.86	7
2	2024-25 (दिनांक 15.05.2024) तक	3	61	4	68	56.01	11

2. सहायक उपवन संरक्षक बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरण	फैसल प्रकरण	मुआवजा (रु० में)
1	वर्ष 2023-2024	118	125	2269900
2	वर्ष 2024-25 में दिनांक 15.05.2024 तक	14	16	301200

3. परिवहन विभाग बारां द्वारा खनिज वाहनों के ओवरलोड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	बनाए गए चालान	प्रशमन राशि (लाखों में)
2023-24	9	1.12
अप्रैल 2024 से 15.05.2024 तक	2	0.14

4. पुलिस विभाग बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं०	वर्ष	कुल दर्ज एफआईआर	कुल गिरफ्तार आरोपित	जब्त मशीनरी	चलानों की संख्या
1	2023	33	47	72 tractor trolly, 9 dumper	19
2	2024	26	19	107 tractor trolly, 20 dumper, 9 JCB & 6 Poklane machine	43

AME

कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को निम्न निर्देश जारी किये गये।

1. खनिज विभाग के अधीन आने वाले वन क्षेत्रों में अवैध खनन कर्ताओं, बड़े माफियाओं के विरुद्ध एसआईटी प्रभावी कार्यवाही करने के लिये सहायक वन संरक्षक बारां को निर्देश दिये गये।
2. वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग को संयुक्त प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा प्रतिमाह कम से कम 8 प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके लिये जिम्मेदार सहायक खनि अभियंता, बारां रहेंगे।
3. खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को बारां जिले में अम्बेडकर सर्किल व अन्य स्थानों पर चल रही अवैध बजरी मण्डी पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को 7 दिवस में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. खनिज विभाग को अवैध खनिज निर्गमन के दौरान पकड़े/जब्त वाहनों के संबंध में वाहन ओवरलोड होने की स्थिति में ओवरलोड की पेनाल्टी वसूली किये जाने के संबंध में प्रत्येक प्रकरण की सूचना जिला परिवहन अधिकारी, बारां को दिये जाने के निर्देश दिये गये।
5. खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन क्षेत्रों की सूची जो उपलब्ध कराई गई है उसमें त्रुटियां/सही नहीं है अतः पुनः विचार/मंथन कर अवैध खनन क्षेत्रों की सूची मय मानचित्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
6. बारां जिले में बजरी के स्वीकृत खननपट्टा संख्या 1/2013 व 02/2013 के खननपट्टा क्षेत्र में एसआईटी द्वारा जांच कर यदि किसी प्रकार का अवैध खनन/निर्गमन होता पाया जाये जो उस पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये।

क्र.सं.	एम.एल. नं०	खननपट्टेधारी का नाम	स्वीकृत क्षेत्र	तहसील	स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खननपट्टा अवधि	विशेष विवरण
1	2/2013	श्री प्रमोद मीणा पुत्र श्री वृज मोहन मीणा निवासी 1 थ 11 दादाबाड़ी कोटा	भावगढ़, बालून्दा, कनाड़ा, जारेला, मूण्डिया, नन्दगांवड़ी, पगारा, पापड़ली, सिंगोला, सीसवाली	मांगरोल	329.90	21.03.2023 से 20.03.2028 तक	पर्यावरण स्वीकृति अप्राप्त होने से खननकार्य अप्रारम्भ है।
			ग्राम मेहताबपुरा, पीपल्दा खुर्द, बोरेड़ा, पीपल्दा कला, अर्जुनपुरा, विसलाई, गोरेला, तगरिया धानी, गोपालपुरा व पाली	किशनगंज			
2	1/2013	श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द शर्मा निवासी-7, आनन्दपुरी कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर	उल्थी, मजरावता, कल्याणपुरा घाटा, घीसरी, हनोलिया, कोयला व शाहगढ़	बारां	360.97	30.03.2023 से 29.03.2028 तक	पर्यावरण स्वीकृति अप्राप्त होने से खननकार्य अप्रारम्भ है।
			कागला बमौरी, महारावता व रानीबड़ौद	किशनगंज			

7. बारां जिले में अन्य जिलों/स्थानों से परिवहन हो रहे खनिज बजरी व अन्य खनिजों में हो रहे अवैध वसूली पर विशेष रूप से खान विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
8. एसआईटी की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जावे।

(3) 23.05.24  
 (भँवरलाल लंबाना)  
 सहायक खनि अभियंता बारां  
 दिनांक :- 23-5-2024

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/1.412-1420  
 प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक बारां
3. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
4. सहायक खनि अभियन्ता, बारां
5. सहायक उपवन संरक्षक बारां
6. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, बारां
7. श्री अंशुमान मीणा खनि कार्यदेशक II, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु।
7. रक्षित पत्रावली

(3) 23/05/24  
 सहायक खनि अभियंता बारां

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बारां  
101, 102, मिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, बारां (राज.)  
Email Id:-ame.baran@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/2135

दिनांक :- 15/7/24

:-बैठक कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम व खनिज निगरानी हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां
2. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
3. सहायक खनि अभियन्ता, बारां

सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक प.14/(1)खान/गुप-2/2012 जयपुर दिनांक 05.07.2021 के संबंध में वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा, गैर वन क्षेत्रों में खान विभाग द्वारा तथा खातेदारी भूमि में संबंधित तहसीलदार/हल्का पटवारी को कार्यवाही करने तथा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग/रिको इत्यादि द्वारा कार्यवाही की जानी है।

सहायक खनि अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्रीमान निदेशक महोदय निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर के आदेश दिनांक 02.07.2024 से निर्देशित किया कि अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध अभियान को अग्रिम आदेशों तक निरन्तर संचालित किया जावे। इसी क्रम में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया कि एसआईटी टीम निरन्तर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही सम्पादित करती रहे।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विभागों से सूचना चाही गई। जिसका विभागवार विवरण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कि निम्नानुसार है।

1. सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफआईआर की सं०
		खनन	निर्गमन	भण्डारण			
1	2023-24	11	175	18	204	128.86	7
2	2024-25 (दिनांक 14.07.2024) तक	10	110	15	135	152.98	11

2. सहायक उपवन संरक्षक बारां द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।


3. परिवहन विभाग बारां द्वारा खनिज वाहनों के ओवरलोड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	बनाए गए चालान	प्रशमन राशि (लाखों में)
2023-24	9	1.12
अप्रैल 2024 से 14.07.2024 तक	31	4.37

  
AME

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को निम्न निर्देश जारी किये गये।

1. अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ठोस कार्यवाही करें।
2. वन क्षेत्रों में अवैध खननकर्ता के विरुद्ध वन विभाग कार्यवाही करें।
3. वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से संयुक्त कार्यवाही की जावे, बड़े एवं संगठित रूप से अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध रणनीति बनाकर ठोस कार्यवाही करें।
4. परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग को अवैध खनिज निर्गमन के दौरान पकड़े/जब्त वाहनों के संबंध में वाहन ओवरलोड होने की स्थिति में ओवरलोड की पेनाल्टी वसूली किये जाने के संबंध में आपसी समन्वय स्थापित किये जाने के निर्देश दिये।
5. बारां जिले में बजरी के स्वीकृत खननपट्टा संख्या 1/2013 व 02/2013 के खननपट्टा क्षेत्र में एसआईटी द्वारा जांच कर यदि किसी प्रकार का अवैध खनन/निर्गमन होता पाया जाये जो उस पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये।
6. बारां जिले में अन्य जिलों/स्थानों से परिवहन हो रहे खनिज बजरी व अन्य खनिजों में हो रहे अवैध वसूली पर विशेष रूप से खान विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
7. एसआईटी की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जावे।

  
15/07/24  
(भँवरलाल लबाना)  
सहायक खनि अभियन्ता,  
बारां (राज.)

दिनांक :- 15/7/24

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/2136-2142  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बारां
3. श्रीमान उपवन सरंक्षक, बारां
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा
5. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
6. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, बारां
7. रक्षित पत्रावली

  
15/07/24  
सहायक खनि अभियन्ता,  
बारां (राज.)

०/८

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बारां  
101, 102, गिनी सचिवालय नवीन विस्तार भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, बारां (राज.)

Email Id:-ame.baran@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/2634

दिनांक :- 27/08/24

:-बैठक कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2024 को सांय 5:30 बजे अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम व खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक हेतु जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बारां
2. श्रीमान उपवन संरक्षक, बारां
3. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां
4. श्री मदनलाल रेगर, परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, बारां
5. सहायक खनि अभियन्ता, बारां

सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वर्षात्रट्ट होने के कारण बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के प्रकरण पूर्व की भाँति कम पाये जा रहे हैं।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विभागों से सूचना चाही गई। जिसका विभागवार विवरण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कि निम्नानुसार है।

1. सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफआईआर की सं०
		खनन	निर्गमन	भण्डारण			
1	2023-24	11	175	18	204	128.86	7
2	2024-25 (दिनांक 20.08.2024) तक	10	129	16	155	175.87	11

2. परिवहन विभाग बारां द्वारा खनिज वाहनों के ओवरलोड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	बनाए गए चालान	प्रशमन राशि (लाखों में)
2023-24	9	1.12
अप्रैल 2024 से 20.08.2024 तक	34	4.89

बैठक में सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा निम्न बिंदुओं पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष चर्चा के बिंदु:-

- सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा यह बताया गया कि बारां जिले के ग्राम- मनयागन, बम्बोरी, मोटूका व बानपुर तहसील-अटरू में बहने वाली परवन नदी के बिलांनाम भूमि किस्म गैर मुभकिन नदी बजरी के 2 प्लॉट चिन्हित कर संयुक्त सर्वे किया गया है। जिनमें उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर स्पष्ट अनुशंषा सहित रिपोर्ट तैयार की जानी है। इस संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 2264-69 दिनांक 30.07.2024 (प्रति संलग्न) से पत्र जारी किया गया। जिसमें निम्न सदस्य हैं-

1. श्रीमान उपवन संरक्षक, बारां
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, अटरू
3. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छवड़ा
4. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग झालावाड़
5. श्रीमान वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कोटा
6. सहायक खनि अभियन्ता, बारां

(3)

जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उपवन संरक्षक वारा व सहायक खनि अभियंता, वारां को यह निर्देश दिए कि उक्त रिपोर्ट को संबंधित उपखण्ड स्तरीय कमेटी से संपर्क कर 7 दिवस के अन्दर तैयार कर अद्योहरताक्षरकर्ता को पेश करें।

- सहायक खनि अभियंता वारां द्वारा यह बताया गया कि श्रीमान निदेशक महोदय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के पत्र क्रमांक निदे/अखअ नीलामी/प्लॉट/गाईड लाईन/2023-24/ई-00969 दिनांक 09.07.2024 (प्रति संलग्न) से वारां जिले के अवैध खनन स्थलों/क्षेत्रों/चारागाह/वन भूमि का चिन्हिकरण करते हुए प्लॉट डेलिनेशन की कार्यवाही की जानी है।

जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उपवन संरक्षक वारां व सहायक खनि अभियंता, वारां को यह निर्देश दिए कि कार्यालय उपवन संरक्षक वारां के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वन क्षेत्र किशनगंज व भंवरगढ़ वनखंड क्षेत्र में खनिज मैसनरी स्टोन की संवेदनशील क्षेत्रों में प्लॉट डेलिनेशन करने योग्य है या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट सहायक खनि अभियन्ता वारां को उपलब्ध करावें।

- सहायक खनि अभियंता वारां द्वारा यह बताया गया कि वारां जिले के ग्राम खान की झोपड़िया तहसील अन्ता में 6 प्लॉट खनिज मैसनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन की वन रहित पुष्टि के प्रमाण पत्र हेतु पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 25.06.2024 से श्रीमान उप वन संरक्षक वारां को पत्र लिखा गया था। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर वारां जिले में 6 प्लॉटों के ई-नीलामी हेतु प्रस्ताव निदेशालय उदयपुर को भिजवाये जायेंगे।

जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उपवन संरक्षक वारां व सहायक खनि अभियंता, वारां को यह निर्देश दिए कि दोनो अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को निम्न निर्देश जारी किये गये।

1. अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ठोस कार्यवाही करें।
2. वन क्षेत्रों में अवैध खननकर्ता के विरुद्ध वन विभाग कार्यवाही करें।
3. वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से संयुक्त कार्यवाही की जावे, बड़े एवं संगठित रूप से अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध रणनीति बनाकर ठोस कार्यवाही करें।
4. परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग को अवैध खनिज निर्गमन के दौरान पकड़े/जवा वाहनों के संबंध में वाहन ओवरलोड होने की स्थिति में ओवरलोड की पेनाल्टी वसूली किये जाने के संबंध में आपसी समन्वय स्थापित किये जाने के निर्देश दिये।
5. वारां जिले में बजरी के स्वीकृत खननपट्टा संख्या 1/2013 व 02/2013 के खननपट्टा क्षेत्र में एसआईटी द्वारा जांच कर यदि किसी प्रकार का अवैध खनन/निर्गमन होता पाया जाये जो उस पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये।
6. वारां जिले में अन्य जिलों/स्थानों से परिवहन हो रहे खनिज बजरी व अन्य खनिजों में हो रहे अवैध वसूली पर विशेष रूप से खान विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
7. एसआईटी की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जावे।

27/08/24

(भंवरलाल लबाना)  
सहायक खनि अभियन्ता,  
वारां (राज.)

दिनांक :- 27/08/24

क्रमांक:-सखअ/वारां/एसआईटी/2024-25/2635-2645  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान उपवन संरक्षक, वारां
2. निजी सहायक जिला कलक्टर, वारां/अति0 जिला कलक्टर, वारां
3. निजी सहायक पुलिस अधीक्षक, वारां
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा
5. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, वारां
6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, अटरू
7. श्रीमान अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबड़ा
8. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग झालावाड़
9. श्रीमान वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कोटा
10. रक्षित पत्रावली

27/08/24

सहायक खनि अभियन्ता,  
वारां (राज.)

**—:बैठक कार्यवाही विवरण:—**

श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2024 को सांय 11.00 बजे अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम व खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक हेतु जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान उप जिला कलक्टर, बारां
2. श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां
3. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
4. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड
5. सहायक खनि अभियन्ता, बारां
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बारां

श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा बारां जिले में अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं संबंधित विभागों से सूचना चाही गई। जिसका विभागवार विवरण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो कि निम्नानुसार है।

1. सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरणों का विवरण			कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफआईआर की सं०
		खनन	निर्गमन	भण्डारण			
1	2023-24	11	175	18	204	128.86	7
2	2024-25 (दिनांक 28.11.2024) तक	14	209	18	240	291.66	11

2. परिवहन विभाग बारां द्वारा खनिज वाहनों के ओवरलोड के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	बनाए गए चालान	प्रशमन राशि (लाखों में)
2023-24	9	1.12
अप्रैल 2024 से 28.11.2024 तक	50	06.94

3. वन विभाग बारां द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	दर्ज प्रकरण	फैसल प्रकरण	मुआवजा (रूपयों में)
2023-24	118	125	2269900
अप्रैल 2024 से 28.11.2024 तक	83	91	1946700

**बैठक में सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा निम्न बिंदुओं पर श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष चर्चा के बिंदु:-**

- सहायक खनि अभियन्ता बारां द्वारा यह बताया गया कि बारां जिले के अटरू तहसील में बहने वाली परवन नदी में खनिज बजरी 4 प्लॉट डेलिनिवेशन कर तैयार किये गये थे, जिसमें से प्लॉट संख्या 2 व 4 में वन विभाग से वन रहित पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है एवं संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा इन दोनों प्लॉटों में अग्रिम ई-नीलागी की कार्यवाही की जा रही है।

जिस पर श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उपवन संरक्षक बारां व सहायक खनि अभियन्ता, बारां को यह निर्देश दिए कि उक्त रिपोर्ट को संबंधित उपखण्ड स्तरीय कमेटी से संपर्क कर 7 दिवस के अन्दर तैयार कर अद्योहरताक्षरकर्ता को पेश करें।

  
AME

• सहायक खनि अभियंता बारां द्वारा यह बताया गया कि श्रीमान निदेशक महोदय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के पत्र क्रमांक निदे/अखअ नीलामी/प्लॉट/गार्डर्ड लाईन/ 2023-24/ई-00969 दिनांक 09.07.2024 (प्रति रालग्न) से बारां जिले के अवैध खनन स्थलों/ क्षेत्रों/ चारागाह/ वन भूमि का चिन्हिकरण करते हुए प्लॉट डेलिनेशन की कार्यवाही की जानी है। जिस पर श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उपवन संरक्षक बारां व सहायक खनि अभियंता, बारां को यह निर्देश दिए कि कार्यालय उपवन संरक्षक बारां के अन्तर्गत वन क्षेत्र किशनगंज व भंवरगढ वनखंड क्षेत्र में खनिज मैसनरी स्टोन की संवेदनशील क्षेत्रों में प्लॉट डेलिनेशन करने योग्य है या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट वन विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। मिटिंग में उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस तरह की भूमि नहीं है तो सहायक खनि अभियंता, बारां को रिपोर्ट प्रेषित करें।

- सहायक खनि अभियंता बारां द्वारा यह बताया गया कि बारां जिले के ग्राम खान की झोपडिया तहसील अन्ता में 6 प्लॉट खनिज मैसनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन की वन रहित पुष्टि के प्रमाण पत्र हेतु पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 25.06.2024 से श्रीमान उप वन संरक्षक बारां को पत्र लिखा गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्लॉटों में वन भूमि 55 मीटर दूर है। इसमें उपवन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक के अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना है जिसे अगले माह में होने वाली एस.आई.टी. बैठक से पूर्व पूर्ण कार्यवाही की जावे।

जिस पर श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी व सहायक खनि अभियंता, बारां को यह निर्देश दिए कि दोनों विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग झालावाड़ ने बताया कि एनजीटी में ओ.ए. संख्या 224/24 दर्ज है जिसकी तारीख दिनांक 10.12.2024 है। इस संबंध में वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी को 10.12.2024 से पूर्व Action Taken Report वन विभाग बारां द्वारा तारीख से पूर्व की जावे।

सहायक खनि अभियंता बारां द्वारा बताया गया कि खनिज बजरी के स्वीकृत खननपट्टा संख्या 02/2013 श्री प्रमोद कुमार मीणा के पक्ष में स्वीकृत होकर प्रभावशील है, यह खननपट्टा तहसील-मांगरोल के राजस्व ग्राम भावगढ, बालून्दा, कनाडा, जारेला, मूण्डिया, नन्दगावडी, पगारा, पापडली, सिंगोला व सीसवाली व तहसील- किशनगंज के राजस्व ग्राम- मेहताबपुरा, पीपल्दा खुर्द, बोरेडा, पीपल्दा कला, अर्जुनपुरा, बिसलाई, गोरेला, तगरिया धानी, गोपालपुरा व पाली में नदी क्षेत्र के खसरा नम्बरों के अनुसार स्वीकृत है। जिसमें पर्यावरण क्लीयरेंस राज्य स्तर से प्राप्त हो चुकी है तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग जयपुर से कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त हो चुकी है तथा खनन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

श्रीमान उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को निम्न निर्देश जारी किये गये।

1. अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध एसआईटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ठोस कार्यवाही करें।
2. वन क्षेत्रों में अवैध खननकर्ता के विरुद्ध वन विभाग कार्यवाही करें।
3. वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से संयुक्त कार्यवाही की जावे, बड़े एवं संगठित रूप से अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध रणनीति बनाकर ठोस कार्यवाही करें।
4. राजस्व विभाग, वन विभाग, खान विभाग द्वारा जिले में अवैधखनन स्थलों को चिन्हित कर मय खसरा न0 व कोर्डिनेट सहित उपलब्ध करावें।
5. परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग को अवैध खनिज निर्गमन के दौरान पकड़े/जब्त वाहनों के संबंध में वाहन ओवरलोड होने की स्थिति में ओवरलोड की पेनाल्टी वसूली किये जाने के संबंध में आपसी समन्वय स्थापित किये जाने के निर्देश दिये।
6. इस माह में संयुक्त कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जायेगा, जिसकी जारीख जिला स्तर पर तय की जायेगी।

  
AMB

7. बारां जिले में बजरी के रचीकृत खननपट्टा संख्या 1/2013 में पर्यावरण क्लीयरेन्स प्राप्त नहीं होने से खनन कार्य बन्द है इस खननपट्टे क्षेत्र में एसआईटी द्वारा जांच कर यदि किसी प्रकार का अवैध खनन/निर्गमन होता पाया जाये जो उस पर प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये।
8. बारां जिले में अन्य जिलों/स्थानों से परिवहन हो रहे खनिज बजरी व अन्य खनिजों में हो रहे अवैध वसूली पर विशेष रूप से खान विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
9. एसआईटी की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जावे।

(3) 29.11.24

(शंवरलाल लबाना)

सहायक खनि अभियन्ता,

बारां (राज.)

दिनांक :- 29/11/24

क्रमांक:-सखअ/बारां/एसआईटी/2024-25/3512-3521

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान उपवन सरंक्षक, बारां
2. निजी सहायक जिला कलक्टर, बारां/अति० जिला कलक्टर, बारां
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा
4. निजी सहायक पुलिस अधीक्षक, बारां
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बारां/अन्ता/मांगरोल/छबड़ा/छीपावडौद/किशनगंज/शाहबाद/अटरू
6. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, बारां
7. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबड़ा
8. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग झालावाड़
9. श्रीमान वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कोटा
10. रक्षित पत्रावली

(3) 29.11.24

सहायक खनि अभियन्ता,

बारां (राज.)

## **Annexure – 14**

Information regarding small-scale mining by local villagers instead of an organized commercial activity.

(संगठित वाणिज्यिक गतिविधि के बजाय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले लघु स्तर के खनन से संबंधित जानकारी।)

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in Fax No 07453-230244d

क्रमांक -एफ ( )/तक/उ व सं./2023-24 / 3307  
निमित्त :-

दिनांक 20.3.24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ),  
राजस्थान जयपुर


विषय-: वन क्षेत्रों में अवैध खनन के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ-: श्रीमान के पत्र क्रमांक एफ 14 (अवैध खनन) 2024/व.सु./प्र.मु.व.सं./819-25  
दिनांक 18.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सदरभित पत्र से आप द्वारा चाही गयी वन क्षेत्रों में अवैध खनन के संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-: उपरोक्तानुसार

  
(अनिल कुमार यादव)  
उप वन संरक्षक,  
बारां

प्रतिलिपि-: संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अनिल कुमार यादव)  
उप वन संरक्षक,  
बारां



कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

Peroforma of Information

Division/ District	Range	Affected Forest Block name	Area of Forest Block	Affected Area (in Ha.) of Forest Block Illegal Mining	Type of Mineral	Intenity of Mining		
						Organized Commercil Scale	Sporadic	Local Level
Baran/Baran	Chhipaabarod	Sarthal C	538.73 Ha.	4.5	Boldar, Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Bilandi	7294.82 Ha.	19.03	Boldar, Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran	Nahargarh	Jaiwara	1441.86 Ha.	15	Sand, stone	No	No	Yes
Baran/Baran		Kishanganj	Kishanganj	659.85 Ha.	7	Stone	No	Yes
Baran/Baran	Chhabda	Bhawargh	2625.9 Ha.	30	Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Gugor	642.78	5	Boldar, Stone	No	No	Yes
Baran/Baran	Atru	Dilod	2525.85	5	Sand	No	No	Yes
Baran/Baran		Unchawad	597-22	30	Sand , Stone	No	No	Yes
Baran/Baran	Atru	Ratanpura I,II	393.57	2	Rubble Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Chainpuriya	275.09	5	Rubble Stone, Sand	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Govindpura	134.43	1	Rubble Stone, Sand	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Kawai Chambal Fertilizer	237.93	2	Rubble Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Kawai II	57.74	1	Rubble Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Kundi Mothpur	1496.87	1	Sand	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Kherai Motipura	1085.75	1	Rubble Stone	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Foolbaroda	154.43	2	Rubble Stone, Sand	No	Yes	Yes
Baran/Baran		Khedli Gaddiyan	67.97	0.25	Rubble Stone, Sand	No	Yes	Yes

  
उप वन संरक्षक  
बारा

## **Annexure – 15**

Recently Approved Mining Blocks in Atru Tehsil, Baran  
District for Prevention of Illegal Mining

(हाल ही में अवैध खनन की रोकथाम हेतु बारां जिले की  
अटरू तहसील में स्वीकृत दो खनन ब्लॉकों से संबंधित  
जानकारी।)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटा-वृत्त, कोटा

क्रमांक :- अखअ/कोटा-वृत्त/सीसी-11/बारां/बजरी प्लॉट/2024-25/

दिनांक:-

निमित्त,

श्रीमान् निदेशक महोदय,  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
उदयपुर (राज0)।

विषय:- सहायक खनि अभियन्ता, बारां के क्षेत्राधिकार में राजस्व ग्राम मन्यागण, बमोरी, बानपुर, मायथा, भवानीपुरा व चौथ्या तहसील अटरु जिला बारां में बहने वाली परवन नदी में बजरी के डेलिनियेटेड प्लॉट संख्या BJ-02/2024 व BJ-04/2024 के ई-नीलामी के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने बाबत।

प्रसंग:- निदेशालय पत्रांक निदे/प.-2/का.स./बजरी दोहन/विविध/12-00286 रेफ.नं.3486594 दिनांक 25.03.2023 एवं पत्र दिनांक 29.08.2023 तथा निदे/अखअ. नीलामी/विविध/2018 /ई-00032 राजकाज रेफरेन्स न0 12919208 दिनांक 10.01.2025 एवं सहायक खनि अभियन्ता, बारां के प्रस्ताव क्रमांक 230 दिनांक 28.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा अवगत कराया गया है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2023-24 में वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर घोषणा के बिन्दु संख्या 40 पर निम्नानुसार घोषणा की गई है, "राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्थानों पर नदियों में 100 हैक्टेयर आकार तक के प्लॉट बनाकर पिट माउथ पर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर बजरी उपलब्ध कराने वाले निविदादाताओं को खनन पट्टे आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।"

निदेशालय पत्रांक निदे/प.-2/का.स./बजरी दोहन/विविध/12-00286 रेफ.नं.3486594 दिनांक 25.03.2023 की पालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 10587/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सेण्ड माईनिंग फ्रेम वर्क, मार्च 2018, और सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं एनफोर्समेंट - मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 तथा शासन द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित शर्तों के अनुसरण में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, बारां के क्षेत्राधिकार में तहसील अटरु जिला बारां के राजस्व ग्राम मन्यागण, बमोरी, बानपुर, मायथा, भवानीपुरा व चौथ्या आदि में बहने वाली परवन नदी के राजकीय बिलानाम भूमि (गैर मुमकिन नदी) क्षेत्र में खनिज बजरी के प्लॉट हेतु सहायक खनि अभियन्ता, बारां कार्यालय के खनि कार्यदेशक द्वारा राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के साथ प्लॉट न0 02 का संयुक्त सीमांकन सर्वे दिनांक 16.07.2024 एवं प्लॉट न0 04 का संयुक्त सीमांकन सर्वे दिनांक 14.10.2024 को करते हुये, प्लॉट संख्या **BJ-02/2024 व BJ-04/2024** कुल 02 प्लॉट बनाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	प्लॉट नं.	निकट ग्राम/तहसील/जिला	भूमि का प्रकार	प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्ट0)	खनिज	प्लॉट में आने वाले खससों का विवरण	संयुक्त सीमांकन दिनांक	खनिज उपलब्धता रिपोर्ट की दिनांक	ईको फ्रेन्डली मौका रिपोर्ट की दिनांक	उप खण्ड स्तरीय कमेटी की अनुमोदन दिनांक (केवल बजरी प्लॉट के लिये)	डी.एस.आर. अनुमोदन की दिनांक (केवल बजरी प्लॉट के लिये)
1	<b>BJ-02/2024</b>	मन्यागण, बमोरी व बानपुर तहसील अटरु जिला बारां	राजकीय भूमि गै. मु. नदी	44.7270	बजरी	132, 528, 795 व 98	16.07.2024	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	21.09.2023
2	<b>BJ-04/2024</b>	मायथा, भवानीपुरा व चौथ्या तहसील अटरु जिला बारां	राजकीय भूमि गै. मु. नदी	22.1909	बजरी	326, 1 व 128	14.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	21.09.2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Avinash Kuldeep  
Designation : Superintending Mining Engineer

Date: 2025.01.29 14:30:00 IST

Reason: Approved



निदेशालय पत्रांक निदे/अप्र/70 दिनांक 29.08.2023 के क्रम में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, बारां के पत्रांक 2264-2269 दिनांक 30.07.2024 (प्लॉट न0-02) व 3203-08 दिनांक 17.10.2024 (प्लॉट न0-04) से उपखण्ड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा क्रमशः प्लॉट न0 2 के संबंधित दिनांक 03.09.2024 को एवं प्लॉट न0 4 के संबंधित 28.10.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, उपखण्ड अधिकारी, अटरू के पत्रांक 1129 दिनांक 11.11.2024 से संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, बारां को प्राप्त हुआ। उपखण्ड स्तरीय कमेटी की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग गाईडलाईन 2016/2020 एवं एनफोर्समेन्ट – मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेण्ड माईनिंग 2016/2020 तथा शासन द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करने की शर्त पर खनन पट्टा आवंटन करने की अनुशंसा की गई है साथ ही प्रकरण में जिला बारां की खनिज बजरी हेतु SEIAA द्वारा दिनांक 21.09.2023 से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) का अनुमोदन किया जा चुका है। उच्चतम बोलीदाता को एम-सेण्ड गाईडलाईन-2020 की पालना एवं समय-समय पर रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी की प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित कर, खनन कार्य करने की शर्त पर उक्त प्लॉटों के ई-नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा पत्रांक 230 दिनांक 28.01.2025 से प्रस्तावित किया गया।

**सहायक खनि अभियन्ता, बारां के प्रस्तावानुसार प्रकरण में बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:-**

1. प्रस्तावित डेलिनेटेड क्षेत्र निदेशालय परिपत्र दिनांक 09.01.2006 के साथ संलग्न सूची में वर्णित जिलों के अनुसार अरावली हिल्स में नहीं आते हैं।
2. प्रस्तावित डेलिनेटेड क्षेत्र राजकीय भूमि गो.मु. नदी में आते हैं। क्षेत्र का राजस्व रिकार्ड प्रेषित किया जा रहा है, तथा खसरो का विवरण संयुक्त सर्वे रिपोर्ट में उल्लेखित है। (प्रति संलग्न)
3. प्रस्तावित डेलिनेटेड प्लॉट संख्या BJ-02/2024 व BJ-04/2024 वन विभाग से प्रमाणित जी.टी. शीट एवं उप वन संरक्षक बारां के पत्र 8760 दिनांक 13.11.2024 व 8748 दिनांक 12.11.2024 के अनुसार वन भूमि में नहीं आते हैं, एवं वन सीमा 1000 मीटर अधिक दूर है। (प्रति संलग्न)
4. प्रस्तावित डेलिनेटेड क्षेत्रों में खनिज उपलब्धता रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। (प्रति संलग्न)
5. प्रस्तावित डेलिनेटेड क्षेत्रों में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, बारां में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं कार्यालय सहायक खनि बारां की जानकारी अनुसार न्यायालय संबंधित लम्बित विवाद होना, रिकॉर्ड में नहीं होना बताया गया है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:-**

1. राजस्व विभाग के साथ किये गये संयुक्त सीमांकन की मौका रिपोर्ट मय पिलर कोर्डिनेट। (प्लॉट नं. BJ-02/2024 व प्लॉट नं. BJ-04/2024)
2. जी. टी. शीट नक्शा। (दोनों प्लॉटों का)
3. चेक लिस्ट।
4. निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप।
5. संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन।
6. खनिज उपलब्धता रिपोर्ट।
7. वन विभाग से दूरी संबंधी प्रमाण पत्र। (दोनों प्लॉटों के)
8. बजरी गणना रिपोर्ट। (दोनों प्लॉटों की)

अतः सहायक खनि अभियन्ता, बारां द्वारा डेलिनियेटेड क्षेत्र, राजकीय भूमि गौमुनदी में डेलिनियेशन प्रस्ताव एवं उपरोक्त लिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के प्रावधानों के तहत उक्त डेलिनियेटेड बजरी प्लॉट्स का ई-ऑक्शन के माध्यम से दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्न-उपरोक्तानुसार (ज़रिये मेल)**

**भवदीय**

(अविनाश कुलदीप)  
अधीक्षण खनि अभियन्ता  
कोटा-वृत्त, कोटा

क्रमांक :- समसंख्यक / 2024-25 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा-जोन, कोटा।
2. सहायक खनि अभियन्ता, बारां को उनके प्रस्ताव क्रमांक 230
3. वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, कोटा।

दिनांक:-  
**Signature Not Verified**

Digitally signed by Avinash Kuldeep  
Designation : Superintending Mining  
Engineer  
Date: 2025.01.29 14:30:00 IST  
Reason: Approved